"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई 2016—आषाढ़ 31, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2016

क्रमांक ई 1-1/2016/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अजय पाल सिंह, भा.प्र.से. (1986) प्रबंध संचालक सह अध्यक्ष सह छ.ग. माटी कला बोर्ड, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रमुख सचिव, जन शिकायत निवारण विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

श्री अजय पाल सिंह, भा.प्र.से. (1936) द्वारा प्रमुख सचिव, जन शिकायत निवारण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री के. आर. पिस्दा, भा.प्र.से. (1996), सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त, आयुक्त, भू-अभिलेख रायपुर तथा पदेन सचिव, वित्त विभाग (पेंशन निराकरण समिति के कार्य हेतु) को केवल सचिव, जन शिकायत निवारण विभाग के प्रभार से मुक्त करता है तथा शेष प्रभार यथावत् रहेंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

2. श्री आलोक अवस्थी, भा.प्र.से. (2002) संयुक्त सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड को प्रबंध संचालक छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, छ.ग. माटी कला बोर्ड, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री आलोक अवस्थी, भा.प्र.से. (2002) द्वारा प्रबंध संचालक छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रबंध संचालक छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत् प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संगर्वीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 मई 2016

क्रमांक एफ 9-01/गृह-सी/परीक्षा/2016.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख, विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 जनवरी, 2016 को प्रश्न पत्र "दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया" प्रथम प्रश्न पत्र (पुस्तक सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थियों के नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री आस्था राजपूत	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
2.	श्री आशीष देवांगन	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
3.	श्री पवन कुमार प्रेमी	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
4.	डॉ. अनुप्रिया मिश्रा	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
5.	श्री विनय कुमार पोयाम	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
6.	श्री ऋषिकेश तिवारी	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्री प्रीतम सिंह चौहान	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री कृष्ण कुमार साहू	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
9.	श्री हनुमन्त सिंह श्याम	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
10.	श्री केशव राम वासनिक	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
11.	श्री बलराम तम्बोली	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
12.	श्री प्रेमूलाल साहू	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
13.	श्रीमती मीना साहू	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
14.	श्रीमती रीमा मरकाम	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
15.	श्रीमती सरिता मढ़रिया	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
16.	सुश्री ममता टावरी	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
17.	श्रीमती चित्ररेखा चन्द्रवंशी	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
18.	श्री हिन्साराम नायक	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
19.	सुश्री संध्या नामदेव	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
20.	श्री पंकज डाहिरे	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
21.	श्री डीकेश्वर कुमार साहू	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
22.	श्रीमती जयश्री राजनपथे	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
23.	श्री लीलाधर ध्रुव	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
24.	श्री नीलकण्ठ जनबन्धु	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
25.	श्री अन्वेष घृतलहरे	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
26.	श्री रमेश कुमार कमार	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर (बस्तर)		
27.	श्रीमती आशा मौर्य	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
28.	श्री पुष्पराज पात्र	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
29.	श्री राधाकृष्ण बंजारे	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र अम्बिकापुर (सरगुजा)		
30.	श्री संजय कुमार मिंज	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
31.	सुश्री नीतू भगत	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
32.	श्री नवीन कुमार भगत	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 4 मई 2016

क्रमांक एफ 09-02/गृह-सी/परीक्षा/2016.—पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 जनवरी, 2016 को प्रश्न पत्र "पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया" (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित, टिप्पणी रहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री प्रेमलाल ध्रुवे	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्रीमती पारूल अवस्थी	पंजीयन लिपिक	सश्रेय से उत्तीर्ण
3.	सुश्री डिम्पल सिन्हा	पंजीयन लिपिक	सश्रेय से उत्तीर्ण
4.	श्री तरूण कुमार	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्रीमती सरोज चक्रवर्ती	पंजीयन लिपिक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
6.	सुश्री हर्षा उपाध्याय	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
7.	श्री शशांक शेखर शुक्ला	उप पंजीयक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री सुभाष शाकार	पंजीयन लिपिक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
9.	श्री प्रवीण पैंकरा	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
	परीक्षा केन्द्र अम्बिकापुर (सरगुजा)		
10.	सुश्री स्मृति लाल	पंजीयन लिपिक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
11.	श्री देवेन्द्र कुमार साहू	पंजीयन लिपिक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
12.	श्री अनुराग भगत	पंजीयन लिपिक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 4 मई 2016

क्रमांक एफ 09-03/गृह-सी/परीक्षा/2016.—उत्पाद शुल्क आबकारी विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 जनवरी, 2016 को प्रश्न पत्र "विधि एवं प्रक्रिया"-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री उदय पान्डे	जिला आबकारी अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 4 मई 2016

क्रमांक एफ 09-04/गृह-सी/परीक्षा/2016.—वाणिज्यिक कर विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 जनवरी, 2016 को प्रश्न पत्र "विधि एवं प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री शिव कुमार दीवान	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्रीमती सीमा अग्रवाल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्रीमती अंजु कुमार	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री पुरूषोत्तम लाल बांधेय	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
5.	श्री राजकुमार मोरक्को	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्रीमती चित्ररेखा भुआर्य	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्री यशवंत कुमार उइके	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री नन्द कुमार कुर्रे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
9.	सुश्री रीता बड़ा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
10.	श्रीमती शारदा मिश्रा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
11.	श्री ओंकार यादव	वाणिज्यिक कर अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
12.	श्रीमती सुनीता वर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
13.	सुश्री सुषमा बड़ा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
14.	श्री प्रभाकर उपाध्याय	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
15.	श्री श्रीराम तारम	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
16.	श्री सुरेन्द्र पटेल	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर (बस्तर)		
17.	श्री भागीरथी ध्रुव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
18.	श्री हिरामन सिंह ठाकुर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 4 मई 2016

क्रमांक एफ 09-08/गृह-सी/परीक्षा/2016.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 जनवरी, 2016 को प्रश्न पत्र "समाज कल्याण" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री महेश पटेल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री चन्द्रप्रकाश पात्रे	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 4 मई 2016

क्रमांक एफ 09-10/गृह-सी/परीक्षा/2016.—उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 जनवरी, 2016 को प्रश्न पत्र "अधिनियम तथा नियम" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री शशीकांत सिंह भुवाल	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 4 मई 2016

क्रमांक एफ 09-11/गृह-सी/परीक्षा/2016.—नैसर्गिक संसाधन (खनिज साधन) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12-01-2016 को प्रश्न पत्र "खनिज प्रबंध" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	परीक्षाफल
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सुश्री त्रिवेणी देवांगन	खनि अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र जगदलपुर (बस्तर)	
2.	श्री प्रमोद कुमार	खनि अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र अम्बिकापुर (सरगुजा)	
3.	श्रीमती मीनाक्षी साहू	खनि अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
4.	श्री योगेन्द्र सिंह	खनि अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 4 मई 2016

क्रमांक एफ 09-13/गृह-सी/परीक्षा/2016.—उद्योग विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 जनवरी, 2016 को प्रश्न पत्र "प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्य के साधनों, राज्य की नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री एन. कुमार देवांगन	सहायक प्रबंधक	सश्रेय से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र बिलासपुर	
2.	श्री शांति कुमार सिदार	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 4 मई 2016

क्रमांक एफ 09-15/गृह-सी/परीक्षा/2016.—समाज कल्याण विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 जनवरी, 2016 को प्रश्न पत्र "समाज शिक्षा" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित

किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर (बस्तर)

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री लादूराम मंडावी	उप-अंकेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 4 मई 2016

क्रमांक एफ 09-16/गृह-सी/परीक्षा/2016.—वाणिज्यिक कर विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 -01-2016 को प्रश्न पत्र ''पुस्तपालन तथा कर निर्धारण'' (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री शिव कुमार दीवान	वा. कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्रीमती सीमा अग्रवाल	वा. कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्रीमती अंजु कुमार	वा. कर अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री पुरूषोत्तम लाल बांधेय	वा. कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
5.	श्रीमती चित्ररेखा भुआर्य	वा. कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
6.	श्री राजकुमार मोरक्को	वा. कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
7.	श्री श्रीराम तारम	वा. कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री नन्द कुमार कुर्रे	वा. कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
9.	श्री यशवंत कुमार उइके	वा. कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
10.	सुश्री रीता बड़ा	वा. कर अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
11.	श्रीमती शारदा मिश्रा	वा. कर अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
12.	श्री विवेक पाण्डे	वा. कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
13.	श्री ओंकार यादव	वा. कर अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
14.	श्रीमती सुनीता वर्मा	वा. कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
15.	सुश्री सुषमा बड़ा	वा. कर अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
16.	श्री प्रभाकर उपाध्याय	वा. कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर (बस्तर)		
17.	श्री भागीरथी ध्रुव	वा. कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
18.	श्री हिरामन सिंह ठाकुर	वा. कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 4 मई 2016

क्रमांक एफ 09-17/गृह-सी/परीक्षा/2016.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 जनवरी, 2016 को प्रथम प्रश्न पत्र "वन विधि" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री गणविर धम्मशिल संपत	प्रशिक्षु वनमंडलाधिकारी	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
2.	श्री प्रणय मिश्र	प्रशिक्षु अधिकारी (भा.व.से.)	उत्तीर्ण
3.	श्री गुरूनाथन. एन	एस.डी.ओ. (भा.व.से.)	उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 4 मई 2016

क्रमांक एफ 09-19/गृह-सी/परीक्षा/2016.—पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13-01-2016 को प्रश्न पत्र "व्यवहारिक शाखा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री रितेश श्रीवास्तव	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
2.	श्री अभिषेक माहेश्वरी	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
3.	श्री आदित्य पान्डे	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
4.	डॉ. प्रशांत शुक्ला	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
5.	श्री हेमसागर सिदार	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
6.	श्री रामकुमार बर्मन	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर (बस्तर)		
7.	श्री धीरेन्द्र कुमार पटेल	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
8.	श्री विवेक शुक्ला	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
9.	श्री चन्द्रकांत गवर्ना	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 4 मई 2016

क्रमांक एफ 09-20/गृह-सी/परीक्षा/2016.—वाणिज्यिक कर विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13-01-2016 को प्रश्न पत्र "कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित

किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री शिव कुमार दीवान	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्रीमती सीमा अग्रवाल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्रीमती अंजु कुमार	वाणिज्यिक कर अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
4.	श्री पुरूषोत्तम लाल बांधेय	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
5.	श्रीमती चित्ररेखा भुआर्य	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्री यशवंत कुमार उइके	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्री नन्द कुमार कुर्रे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
8.	सुश्री रीता बड़ा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
9.	श्रीमती शारदा मिश्रा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
10.	श्री ओंकार यादव	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
11.	श्रीमती सुनीता वर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
12.	सुश्री सुषमा बड़ा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
13.	श्री प्रभाकर उपाध्याय	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
14.	श्री श्रीराम तारम	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
15.	श्री राजकुमार मोरक्को	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर (बस्तर)		
16.	श्री अतुल मिंज	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
17.	श्री भागीरथी ध्रुव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
18.	श्री हिरामन सिंह ठाकुर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 4 मई 2016

क्रमांक एफ 09-21/गृह-सी/परीक्षा/2016.—सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 जनवरी, 2016 को प्रश्न पत्र ''सिविल विधि तथा प्रक्रिया'' (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री संदीप ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	सुश्री ऋषा ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
3.	श्री दुष्यन्त कुमार रायस्त	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	श्री आशीष देवांगन	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
5.	सुश्री आस्था राजपूत	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
6.	श्री प्रवीण कुमार वर्मा	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
7.	श्री पवन कुमार प्रेमी	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री प्रफुल्ल कुमार गुप्ता	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
9.	श्री योगेन्द्र कुमार वर्मा	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
10.	श्री बलराम तम्बोली	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
11.	सुश्री ममता टावरी	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
12.	श्री प्रेमूलाल साहू	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
13.	श्रीमती चित्ररेखा चन्द्रवंशी	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
14.	श्री सीता राम कंवर	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
15.	सुश्री संध्या नामदेव	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
16.	श्री प्रीतम कुमार साहू	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
17.	डॉ. विभोर अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
18.	डॉ. ऋतु वर्मा	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
19.	सुश्री अंशिका पाण्डेय	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
20.	डॉ. रविराज ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
21.	डॉ. ज्योति पटेल	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
22.	श्री पंकज डाहिरे	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
23.	श्री चन्द्रकांत वर्मा	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
24.	श्री सुनील कुमार शर्मा	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
25.	श्री ऋषिकेश तिवारी	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
26.	श्री वीरेन्द्र सिंग	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
27.	डॉ. अनुप्रिया मिश्रा	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
28.	श्री विनय कुमार पोयाम	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

29.	सुश्री शिम्मी नाहिद	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
30.	श्रीमती मोनिका वर्मा	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
31.	श्री डिगेश पटेल	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
32.	श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
33.	श्री अभिषेक गुप्ता	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
34.	श्री अन्वेष घृतलहरे	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
35.	श्री ओमप्रकाश सिंह	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
36.	श्री दिलीप कुमार खाण्डे	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
37.	श्रीमती जयश्री राजनपथे	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
38.	श्रीमती करूणा आहेर	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
39.	श्री रमेश कुमार कमार	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
40.	डॉ. आराध्या कमार	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
41.	श्री वैभव कुमार क्षेत्रज्ञ	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
42.	श्री सालिक राम गुप्ता	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
43.	श्री राकेश कुमार वर्मा	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
44.	श्री लीलाधर ध्रुव	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
45.	श्री अभिषेक राठौर	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
46.	श्री विनय कुमार अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
47.	श्री कृष्ण कुमार जायसवाल	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
48.	सुश्री निशा नेताम	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
49.	सुश्री ममता यादव	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
50.	श्री विनायक शर्मा	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
51.	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
52.	श्री रवि राही	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
53.	श्री दीनदयाल मंडावी	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
54.	श्री रामप्रसाद बघेल	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
55.	श्रीमती जॉली जेम्स	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
56.	श्री विनय कुमार सोनी	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
57.	श्रीमती आशा मौर्य	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अम्बिकापुर)		
58.	श्री उमाशंकर बन्दे	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
60.	सुश्री प्रिया गोयल	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
60.	श्री विपुल कुमार गुप्ता	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
61.	सुश्री अंकिता गर्ग	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
62.	श्री हितेश कुमार बघेल	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
63.	श्री नरेन्द्र पैकरा	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
64.	श्री बिन्देश्वर प्रजापति	राजस्व निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
65.	श्री अनुज कुमार पटेल	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
66.	श्री संजय कुमार मिंज	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
67.	श्री उमेश कुमार कुशवाहा	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
68.	श्री ईश्वर चन्द यादव	राजस्व निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
69.	श्रीमती मीना सिंह	राजस्व निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
70.	डॉ. प्रियंका वर्मा	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
71.	श्री उमेश कुमार पटेल	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
72.	श्री करम चन्द्र जाटवर	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
73.	श्री मुखदेव प्रसाद यादव	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 4 मई 2016

क्रमांक एफ 09-22/गृह-सी/परीक्षा/2016.—पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13-01-2016 को प्रश्न पत्र "पुलिस शाखा" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	परीक्षाफल
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री रितेश श्रीवास्तव	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
2.	श्री अभिषेक माहेश्वरी	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	श्री आदित्य पान्डे	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
4.	डॉ. प्रशांत शुक्ला	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
5.	श्री हेमसागर सिदार	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
6.	श्री रामकुमार बर्मन	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
7.	श्री विवेक शुक्ला	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
8.	श्री चन्द्रकांत गवर्ना	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 4 मई 2016

क्रमांक एफ 09-23/गृह-सी/परीक्षा/2016.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 जनवरी, 2016 को "सामान्य विधि प्रश्न पत्र-2" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री गणविर धम्मशिल संपत	प्रशिक्षु वनमंडलाधिकारी	उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 4 मई 2016

क्रमांक एफ 09-27/गृह-सी/परीक्षा/2016.—आदिम जाति कल्याण विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13-01-2016 को प्रश्न पत्र "समाज शास्त्र" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री दीपक कुमार निकुंज	सहा. परि. प्रशासक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री भानु प्रताप चुरेन्द्र	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री उमेश कुमार पटेल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
4.	सुश्री रेशमा खान	सहायक संचालक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र अम्बिकापुर (सरगुजा)		
5.	श्री आशीष कुमार बनर्जी	सहायक संचालक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 4 मई 2016

क्रमांक एफ 09-31/गृह-सी/परीक्षा/2016.—पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 14 जनवरी, 2016 को प्रश्न पत्र "न्यायिक शाखा" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	परीक्षाफल
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	डॉ. प्रशांत शुक्ला	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 4 मई 2016

क्रमांक एफ 09-32/गृह-सी/परीक्षा/2016.—आबकारी विभाग (उत्पाद शुल्क) के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 14 जनवरी, 2016 को प्रश्न पत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री उदय पान्डे	जिला आबकारी अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 4 मई 2016

क्रमांक एफ 09-34/गृह-सी/परीक्षा/2016.—उद्योग विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 14 जनवरी 2016 को प्रश्न पत्र "लेखा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री शशीकान्त सिंह भुवाल	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	सुश्री नीति वर्मा	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
3.	श्री रविशंकर नेताम	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री संजय कुमार सिंह	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र अंबिकापुर (सरगुजा)		
5.	श्री अविनाश पाण्डेय	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 24 मई 2016

क्रमांक एफ 09-28/गृह-सी/परीक्षा/2016.—सामान्य प्रशासन विभाग, सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 14-01-2016 को प्रश्न पत्र ''लेखा प्रथम'' (बिना पुस्तकों के) एवं द्वितीय (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	रिमार्क (4)
1.	श्री अमृत विकास तोपनो	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री ऋषिकेश तिवारी	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री संदीप ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री आशीष देवांगन	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री प्रवीण कुमार वर्मा	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्री पवन कुमार प्रेमी	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
7.	श्रीमती चित्ररेखा चन्द्रवंशी	नायब तहसीलदार	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
8.	सुश्री ममता टावरी	नायब तहसीलदार	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
9.	डॉ. विभोर अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
10.	डॉ. ऋतु वर्मा	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
11.	सुश्री अंशिका पाण्डेय	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
12.	श्री पंकज डाहिरे	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
13.	श्री कुलदीप शर्मा	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
14.	श्री अजीत वसंत	एस.डी.एम.	प्रथम में सश्रेय से उत्तीर्ण
15.	श्री रवि कुमार साहू	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
16.	डॉ. अनुप्रिया मिश्रा	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
17.	श्री विनय कुमार पोयाम	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

18.	श्री अन्वेष घृतलहरे	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
19.	श्री ओम प्रकाश सिंह	नायब तहसीलदार	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
20.	श्री विनय कुमार अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
21.	श्री वैभव कुमार क्षेत्रज्ञ	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
22.	सुश्री निशा नेताम	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
23.	डॉ. आराध्या कमार	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
24.	श्री विनायक शर्मा	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
25.	सुश्री ममता यादव	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
26.	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
27.	श्री रवि राही	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
28.	श्री आशुतोष चतुर्वेदी	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र जगदलपुर (बस्तर)	
29.	श्री विनय कुमार सोनी	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
30.	श्री आशुतोष शर्मा	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
31.	श्री दीनदयाल मंडावी	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
32.	श्रीमती जॉली जेम्स	नायब तहसीलदार	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
33.	श्रीमती आशा मौर्य	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
34.	श्री प्रकाश सिंह राजपूत	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र अंबिकापुर (सरगुजा)	
35.	श्री नरेन्द्र पैकरा	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
36.	डॉ. प्रियंका वर्मा	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
37.	श्री हितेश कुमार बघेल	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 24 मई 2016

क्रमांक एफ 09-29/गृह-सी/परीक्षा/2016.—आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 14 जनवरी, 2016 को प्रश्न पत्र "लेखा" प्रथम एवं प्रश्न पत्र लेखा द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री दीपक कुमार निकुंज	सहा. परि. प्रशासक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	सुश्री मेनका चन्द्राकर	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री मनीष साहू	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री भानु प्रताप चुरेन्द्र	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री उमेश कुमार गुप्ता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र अंबिकापुर (सरगुजा)	
6.	श्री आशीष कुमार बनर्जी	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 24 मई 2016

क्रमांक एफ 09-30/गृह-सी/परीक्षा/2016.—समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 14 जनवरी, 2016 को प्रथम प्रश्न पत्र "लेखा" (बिना पुस्तकों के) एवं द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री चन्द्रप्रकाश पात्रे	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 24 मई 2016

क्रमांक एफ 09-35/गृह-सी/परीक्षा/2016.—नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 14 जनवरी, 2016 को प्रश्न पत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सुश्री त्रिवेणी देवांगन	खनि अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 24 मई 2016

क्रमांक एफ 09-40/गृह-सी/परीक्षा/2016.—जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 15 जनवरी, 2016 को प्रश्न पत्र "छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य एवं ग्रामीण विकास विभाग-द्वितीय प्रश्न" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न

हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सौरभ शर्मा	सहा. संचालक जनसंपर्क	सश्रेय से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 24 मई 2016

क्रमांक एफ 09-44/गृह-सी/परीक्षा/2016.—जनसम्पर्क विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 15 जनवरी, 2016 को प्रश्न पत्र "अनुसूचित जाति तथा आदिवासी विकास प्रश्न पत्र तृतीय" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सौरभ शर्मा	सहा. संचालक जनसंपर्क	सश्रेय से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 24 मई 2016

क्रमांक एफ 09-45/गृह-सी/परीक्षा/2016.—समस्त विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 जनवरी, 2016 को प्रश्न पत्र "हिन्दी" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री गुरूनाथन एन.	एस.डी.ओ.	उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 24 मई 2016

क्रमांक एफ 09-52/गृह-सी/परीक्षा/2016.—सहायक कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खंड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खण्ड अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन

अधिकारी जनपद पंचायत विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 15-01-2016 को प्रश्न पत्र ''पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया'' विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री सुनील कुमार शर्मा	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री ऋषिकेश तिवारी	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	डॉ. अनुप्रिया मिश्रा	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
4.	श्री विनय कुमार पोयाम	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
5.	श्री प्रवीण कुमार वर्मा	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्री पवन कुमार प्रेमी	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्रीमती चित्ररेखा चन्द्रवंशी	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री इंद्रजीत सिंह चन्द्रवाल	एस.डी.एम.	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
9.	श्री शिव अनंत तायल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
10.	श्री अमृत विकास तोपनो	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
11.	श्री कुलदीप शर्मा	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
12.	श्री अजीत वसंत	एस.डी.एम.	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
13.	श्री प्रेमूलाल साहू	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
14.	सुश्री ममता टावरी	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
15.	श्रीमती प्रेमलता	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
16.	डॉ. विभोर अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
17.	डॉ. ऋतु वर्मा	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
18.	सुश्री अंशिका पाण्डेय	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
19.	श्री दीपक कुमार निकुंज	सहा. परि. प्रशासक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
20.	श्री उमेश कुमार गुप्ता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
21.	श्री मनीष साहू	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
22.	श्री भानू प्रताप चुरेन्द्र	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

23.	श्री विनीत नंदनवार	एस.डी.एम.	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
24.	श्री वैभव कुमार क्षेत्रज्ञ	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
25.	श्री ओम प्रकाश सिंह	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
26.	श्री अखिलेश साहू	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
27.	श्री डिगेश पटेल	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
28.	श्री आशुतोष चतुर्वेदी	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
29.	सुश्री निशा नेताम	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
30.	सुश्री ममता यादव	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
31.	श्री विनायक शर्मा	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
32.	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
33.	श्री रवि राही	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
34.	श्रीमती मोनिका वर्मा	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
35.	श्री अन्वेष घृतलहरे	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
36.	श्री विनय कुमार अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर (बस्तर)		
37.	श्री बजरंग दुबे	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
38.	श्री विनय कुमार सोनी	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
39.	श्री अभिजीत सिंह	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
40.	श्री दीनदयाल मंडावी	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
41.	श्री चन्द्रकांत कौशिक	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
42.	श्रीमती जॉली जेम्स	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
43.	श्री आशुतोष शर्मा	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
44.	सुश्री योगिता देवांगन	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र अम्बिकापुर (सरगुजा)		
45.	श्री हितेश कुमार बघेल	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
46.	श्री प्रेम कुमार पटेल	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
47.	श्री मनीष कुमार वर्मा	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
48.	श्री नरेन्द्र पैकरा	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
49.	श्री अभिषेक कुमार गुप्ता	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
50.	श्री मुखदेव प्रसाद यादव	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
51.	श्री आशीष कुमार बनर्जी	सहायक संचालक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
52.	डॉ. प्रियंका वर्मा	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
53.	श्री अजय कुमार त्रिपाठी	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 24 मई 2016

क्रमांक एफ 09-55/गृह-सी/परीक्षा/2016.—महिला एवं बाल विकास विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 जनवरी, 2016 को तृतीय प्रश्न पत्र "महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्रीमती प्रगति अग्रवाल	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्रीमती प्रभा भारद्वाज	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र अम्बिकापुर		
3.	सुश्री ज्योत्सना वर्मा	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
4.	सुश्री ममता बाई	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
5.	सुश्री सविता देवी त्रिपाठी	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	श्रीमती पद्मिनी चौहान	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्रीमती सुनीती दुबे	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्रीमती मीना पाण्डेय	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
9.	श्रीमती मंजु कुशवाहा	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
10.	श्रीमती सुमन सोसन किन्डो	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
11.	श्रीमती निशी श्रीवास्तव	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
12.	श्री रमाकांत चन्द्राकर	जिला महिला बाल विकास अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
13.	श्रीमती रंजू चौधरी	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
14.	श्रीमती माया कुमारी द्विवेदी	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
15.	श्रीमती एबेथ साय बेक	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
16.	सुश्री प्रेमा किस्पोट्टा	परियोजना अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 25 मई 2016

क्रमांक एफ 09-25/गृह-सी/परीक्षा/2016.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 जनवरी, 2016 को प्रश्न पत्र "स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री चन्द्रप्रकाश पात्रे	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 25 मई 2016

क्रमांक एफ 09-39/गृह-सी/परीक्षा/2016.—कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 15-01-2016 को "लेखा-प्रथम प्रश्न पत्र" (पुस्तकों सहित) एवं "लेखा-द्वितीय प्रश्न पत्र" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	परीक्षाफल
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रीमती विनिता वर्मा	उद्यान विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	सुश्री कविता फाँफरे	वरि. उद्यान विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री हेमन्त कुमार बघेल	वरि. कृषि विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्रीमती प्रतिक्षा बंजारे (सोनवानी)	वरि. उद्यान विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	श्री भारत भूषण देवांगन	वरि. कृषि विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्री अजय कुमार सलामे	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्री आशीष कुमार चन्द्राकर	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री राजीव श्रीवास्तव	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
9.	श्री सूरज कुमार पंसारी	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
10.	श्रीमती पूजा साहू	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
11.	श्री शशांक शिन्दे	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
12.	श्री मयंक बघेल	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
13.	श्री सतीश कुमार अवस्थी	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
14.	श्री परमजीत सिंह गुरूदत्ता	वरि. उद्यान विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
15.	श्री केशव राम पिद्दा	कृषि विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
16.	श्री राजकुमार सोलंकी	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
17.	श्री संतलाल देशलहरे	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
18.	श्री उमेश सिंह तोमर	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
19.	श्री अमित कुमार महान्ती	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
20.	श्री मोरध्वज डड़सेना	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
21.	सुश्री योग्यता सिंह	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
22.	सुश्री कुसुम वर्मा	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
23.	श्री टीकम सिंह ठाकुर	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
24.	श्रीमती स्नेहलता सिन्हा	वरि. उद्यान विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
25.	सुश्री पायल साव	वरि. उद्यान विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
26.	श्रीमती मेरी सुचिता खलखो	वरि. कृषि विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
27.	श्री सतराम सिंह पैकरा	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

28.	सुश्री संजना बंजारे	वरि. उद्यान विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
29.	सुश्री भगवती साहू	वरि. उद्यान विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
30.	श्रीमती नीलम आजाद	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
31.	डॉ. रणधीर लाल अम्बादे	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
32.	श्री सुभाष सोनी	वरि. कृषि विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
33.	श्रीमती प्रिया ठाकुर	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
34.	सुश्री ललिता मरावी	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
35.	श्रीमती आभा पाठक	वरि. उद्यान विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
36.	श्रीमती रंजना मखीजा	वरि. उद्यान विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
37.	श्रीमती भुवनेश्वरी कंवर	वरि. उद्यान विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
38.	श्री देवेन्द्र पाल सिंह कंवर	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
39.	सुश्री ऋति तिवारी	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
40.	सुश्री मोनिका पिस्दा	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
41.	श्रीमती पुष्पा कंवर	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
42.	सुश्री समीधा यादव	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
43.	श्री पंकज कुमार पटेल	वरि. कृषि विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
44.	श्री अलेकजेन्डर कुजूर	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर (बस्तर)

45.	श्रीमती गुंजन सिंह भदौरिया	वरि. कृषि विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
46.	सुश्री मुक्ता जोशी	वरि. कृषि विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
47.	श्री चंदन कुमार राय	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
48.	श्री सुधराम नेताम	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
49.	श्री लखनधर दीवान	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
50.	श्री चित्रांगद कुमार ठाकुर	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
51.	श्री राकेश कुमार जोशी	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
52.	श्री हरीश नेताम	वरि. कृषि विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
53.	श्री करण सोनकर	वरि. कृषि विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
54.	श्री सत्यजीत सिंह कंवर	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
55.	श्री योगेश कुमार नाग	वरि. कृषि विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अम्बिकापुर)		
56.	श्री प्रमोद कुमार गढ़ेवाल	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
57.	श्री रोबिन्सन सुधीर कुजूर	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
58.	श्री आशुतोष श्रीवास्तव	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
59.	श्री अजय कुमार अनंत	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
60.	सुश्री सम्पदा पैंकरा	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
61.	श्री सूर्य प्रताप सिंह	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
62.	डॉ. ज्योत्सना मिश्रा	वरि. उद्यान विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
63.	श्रीमती अरूणा कुजूर	वरि. उद्यान विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
64.	श्री उमेश कुमार पैंकरा	वरि. उद्यान विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
65.	श्री रौशन कुमार	सहायक संचालक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 25 मई 2016

क्रमांक एफ 09-43/गृह-सी/परीक्षा/2016.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 15 जनवरी, 2016 को प्रश्न पत्र "प्रक्रिया तथा लेखा प्रश्न पत्र-3" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री गणविर धम्मशिल संपत	प्रशिक्षु वनमंडलाधिकारी	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
2.	श्री प्रणय मिश्रा	भारतीय वन सेवा प्रशिक्षु अधिकारी	उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 25 मई 2016

क्रमांक एफ 09-53/गृह-सी/परीक्षा/2016.—महिला एवं बाल विकास विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 जनवरी, 2016 को प्रथम प्रश्न पत्र "लेखा" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्रीमती प्रभा भारद्वाज	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्रीमती प्रगति अग्रवाल	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र अम्बिकापुर (सरगुजा)		
3.	सुश्री ज्योत्सना वर्मा	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	सुश्री प्रेमा किस्पोट्टा	परियोजना अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्रीमती दुर्गावती कुजूर	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्रीमती एबेथ साय बेक	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्री रमाकांत चन्द्राकर	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
8.	श्रीमती मीना पाण्डेय	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
9.	श्रीमती रंजू चौधरी	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
10.	श्रीमती सुमन सोसन किन्डो	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
11.	श्रीमती पद्मिनी चौहान	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
12.	सुश्री ममता बाई	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
13.	सुश्री सविता देवी त्रिपाठी	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 25 मई 2016

क्रमांक एफ 09-54/गृह-सी/परीक्षा/2016.—महिला एवं बाल विकास विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 जनवरी, 2016 को द्वितीय प्रश्न पत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्रीमती प्रगति अग्रवाल	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्रीमती प्रभा भारद्वाज	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र अम्बिकापुर		
3.	श्रीमती मीना पाण्डेय	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्रीमती सुनीती दुबे	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
5.	सुश्री अनिता सिंह	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	श्री रमाकांत चन्द्राकर	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
7.	सुश्री ज्योत्सना वर्मा	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्रीमती पद्मिनी चौहान	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
9.	श्रीमती मंजू कुशवाहा	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
10.	श्रीमती रंजू चौधरी	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
11.	सुश्री प्रेमा किस्पोट्टा	परियोजना अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
12.	श्रीमती सुमन सोसन किन्डो	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
13.	श्रीमती निशी श्रीवास्तव	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
14.	श्रीमती एबेथ साय बेक	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
15.	श्रीमती दुर्गावती कुजूर	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
16.	सुश्री ममता बाई	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
17.	सुश्री मनिषा निराला	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
18.	सुश्री सविता देवी त्रिपाठी	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 25 मई 2016

क्रमांक एफ 09-56/गृह-सी/परीक्षा/2016.—महिला एवं बाल विकास विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 जनवरी, 2016 को चतुर्थ प्रश्न पत्र "बाल संरक्षण, देखभाल कल्याण एवं विकास" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्रीमती प्रभा भारद्वाज	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्रीमती प्रगति अग्रवाल	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र अम्बिकापुर		
3.	सुश्री प्रेमा किस्पोट्टा	परियोजना अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	सुश्री ममता बाई	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	सुश्री सविता देवी त्रिपाठी	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्रीमती सुनीती दुबे	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
7.	सुश्री अनिता सिंह	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्रीमती मंजू कुशवाहा	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
9.	श्रीमती रंजू चौधरी	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
10.	श्रीमती सुमन सोसन किन्डो	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
11.	श्रीमती निशी श्रीवास्तव	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
12.	सुश्री ज्योत्सना वर्मा	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
13.	श्रीमती पद्मिनी चौहान	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
14.	श्री रमाकांत चन्द्राकर	जिला महिला बाल विकास अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
15.	श्रीमती माया कुमारी द्विवेदी	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
16.	श्रीमती एबेथ साय बेक	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
17.	श्रीमती दुर्गावती कुजूर	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
18.	श्रीमती मीना पाण्डेय	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 30 जून 2016

क्रमांक एफ 09-09/गृह-सी/परीक्षा/2016.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 एवं 13 जनवरी, 2016 को ''प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया'' प्रथम प्रश्न पत्र भाग बी एवं सी (बिना पुस्तकों के), द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित), तृतीय प्रश्न पत्र (आदेश का लिखा जाना) में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है. निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्न पत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	सभी प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी	सहायक कलेक्टर (IAS)	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री अमृत विकास तोपनो	सहायक कलेक्टर (IAS)	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री मुकेश रावटे	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री प्रवीण कुमार वर्मा	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	डॉ. अनुप्रिया मिश्रा	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
6.	श्री विनय कुमार पोयाम	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्री योगेन्द्र कुमार वर्मा	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री रवि कुमार साहू	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
9.	सुश्री ममता टावरी	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
10.	श्रीमती चित्ररेखा चन्द्रवंशी	नायब तहसीलदार	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
11.	श्री पवन कुमार प्रेमी	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
12.	डॉ. विभोर अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
13.	डॉ. ऋतु वर्मा	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
14.	सुश्री अंशिका पाण्डेय	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
15.	श्री वीरेन्द्र सिंग	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
16.	श्री कुलदीप शर्मा	सहायक कलेक्टर (IAS)	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
17.	सुश्री आस्था राजपूत	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
18.	श्री आशीष देवांगन	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
19.	श्री कुन्दन कुमार	सहायक कलेक्टर (IAS)	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
20.	श्री शशांक पाण्डेय	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
21.	श्री बलराम तम्बोली	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
22.	श्री डिकेश्वर कुमार साहू	नायब तहसीलदार	द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
23.	श्री प्रफुल्ल कुमार गुप्ता	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
24.	श्री प्रेमू लाल साहू	नायब तहसीलदार	द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
25.	श्री कृष्ण कुमार साहू	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
26.	श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
27.	श्री चन्द्रकांत वर्मा	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
28.	श्री सुनील कुमार शर्मा	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
29.	श्रीमती रीमा मरकाम	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
30.	श्रीमती प्रियंका देवांगन	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
31.	श्री हनुमन्त सिंह श्याम	नायब तहसीलदार	तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
32.	श्री केशव राम वासनिक	नायब तहसीलदार	तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
33.	श्री सीता राम कंवर	नायब तहसीलदार	तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
34.	श्री हिन्सा राम नायक	नायब तहसीलदार	तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
35.	सुश्री प्रीति लारोकर	नायब तहसीलदार	तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
36.	श्रीमती मीना साहू	नायब तहसीलदार	तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
37.	श्री राजेश सिंह राणा	कलेक्टर (IAS)	तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
38.	श्री पवन सिंह ठाकुर	नायब तहसीलदार	तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र बिलासपुर	
39.	श्री वैभव कुमार क्षेत्रज्ञ	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
40.	श्री ओम प्रकाश सिंह	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
41.	श्री अन्वेष घृतलहरे	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
42.	श्री सालिक राम गुप्ता	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
43.	श्री विनय कुमार अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
44.	डॉ. आराध्या कमार	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
45.	सुश्री निधि साहू	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
46.	सुश्री पूनम तिवारी	नायब तहसीलदार	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
47.	सुश्री निशा नेताम	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
48.	श्री विनायक शर्मा	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
49.	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
50.	श्री रवि राही	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
51.	सुश्री ममता यादव	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
52.	सुश्री शिम्मी नाहिद	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
53.	श्री डिगेश पटेल	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
54.	श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
55.	श्री अभिषेक गुप्ता	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
56.	श्रीमती मोनिका वर्मा	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
57.	श्री राजेन्द्र भारत	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
58.	श्री रमेश कुमार कमार	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
59.	श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर	डिप्टी कलेक्टर	तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
60.	श्री लीलाधर ध्रुव	नायब तहसीलदार	तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
61.	श्री अश्वनी कंवर	नायब तहसीलदार	तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
62.	सुश्री शिल्पा भगत	नायब तहसीलदार	तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
63.	श्री सुनील अग्रवाल	नायब तहसीलदार	तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
		परीक्षा केन्द्र जगदलपुर (बस्तर)	
64.	श्री दीनदयाल मंडावी	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
65.	श्री पुष्पराज पात्र	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
66.	श्रीमती आशा मौर्य	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
67.	श्रीमती जॉली जेम्स	नायब तहसीलदार	द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
68.	श्री आशुतोष शर्मा	नायब तहसीलदार	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
69.	श्री विनय कुमार सोनी	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
70.	श्री राधाकृष्ण बन्जारे	नायब तहसीलदार	तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र अम्बिकापुर (सरगुजा)	
71.	श्री उमेश कुमार कुशवाहा	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
72.	श्री करमचन्द्र जाटवर	नायब तहसीलदार	द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
73.	श्री ईश्वर चन्द्र यादव	राजस्व निरीक्षक	द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
74.	श्री सुनील कुमार नायक	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
75.	श्री नरेन्द्र पैकरा	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
76.	डॉ. प्रियंका वर्मा	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
77.	श्री तेजू प्रसाद यादव	राजस्व निरीक्षक	द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
78.	श्री प्रेम प्रकाश शर्मा	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
79.	श्री हितेश कुमार बघेल	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
80.	श्री प्रकाश कुमार भारद्वाज	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
81.	सुश्री अंकिता गर्ग	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
82.	श्री अजय कुमार त्रिपाठी	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
83.	श्री अनुज कुमार पटेल	नायब तहसीलदार	द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
84.	सुश्री प्रिया गोयल	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
85.	श्री उमेश कुमार पटेल	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 30 जून 2016

क्रमांक एफ 09-09/गृह-सी/परीक्षा/2016.—आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 जनवरी, 2016 को प्रश्नपत्र ''प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया'' प्रथम प्रश्न पत्र भाग-ए एवं द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है. एवं प्रश्न पत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र.	परीक्षार्थी	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री उमेश कुमार गुप्ता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री भानु प्रताप चुरेन्द्र	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री मनीष साहू	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री दीपक कुमार निकुंज	सहा. परियोजना प्रशासक	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र अम्बिकापुर (सरगुजा)		
5.	श्री आशीष कुमार बनर्जी	सहायक संचालक	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण देव गौतम, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जून 2016

क्रमांक एफ 7-06/2011/32 पार्ट-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित निवेश क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है :—

1. **जिला सूरजपुर —** (1) सीतापुर निवेश क्षेत्र.
2. **जिला कोरिया —** (1) शिवपुर-चरचा निवेश क्षेत्र

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 7 जुलाई 2016

क्रमांक क/भू-अर्जन/23/2016.—कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जगदलपुर से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ग्राम खण्डसरा, कुड़कानार, पराली, केशरपाल एवं ग्राम नंदपुरा की निजी भूमि अर्जन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर के न्यायालय में प्रक्रियाधीन भू-अर्जन प्रकरणों में नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत जारी प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में होने तथा निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/14-15, 2/अ-82/14-15, 3/अ-82/14-15, 4/अ-82/14-15 एवं 5/अ-82/14-15 में नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (1) के तहत अंतिम अधिसूचना का प्रकाशन अपरिहार्य कारणों से नहीं किया जा सका है. चूंकि केन्द्र/राज्य शासन की विभिन्न योजना अन्तर्गत सार्वजनिक एवं राष्ट्र हित के लिए निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन किया जाना प्रस्तावित है.

अतएव भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर के न्यायालय में प्रक्रियाधीन उपरोक्त वर्णित भू-अर्जन प्रकरणों में नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (1) के तहत अंतिम अधिसूचना के प्रकाशनार्थ बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 25 जून 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 57/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	भरारी प.ह.नं. 20	49.87	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना वितरक नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 6 जून 2016

क्रमांक/01/भू-अर्जन/अ-82/वर्ष 2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-खैरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.842 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
7/1	0.061
50/1	0.049
1110/5	0.069
7/2	0.069
50/2	0.049

(1)	(2)	(1)	(2)
9	0.194	45	0.069
16	0.012	46	0.113
10/2	0.093	48	0.121
10/1	0.004	52	0.158
10/3	0.061	54/1	0.040
10/7	0.012	54/3	0.036
10/5	0.020	55	0.020
1178	0.105	59/1	0.121
10/8	0.109	199	0.045
33/1	0.012	56	0.093
242/1	0.085	61	0.097
1184/4	0.093	117	0.008
11/2	0.105	54/6	0.060
33/2	0.008	86	0.012
11/3	0.069	88	0.004
12	0.005	89	0.219
32	0.065	90	0.012
71	0.089	116	0.020
87/1	0.063	1108/2	0.223
250	0.008	186/1	0.004
1148/1	0.154	194/1	0.097
15/1	0.004	246	0.040
47/3	0.101	214	0.020
72	0.004	197	0.121
198/2	0.057	1174/1	0.077
202/1	0.040	200/1	0.041
213/1	0.081	201	0.053
204/1	0.008	951	0.016
1184/3	0.085	205/1	0.182
40/1	0.360	247	0.065
60	0.652	206/1	0.219
241	0.466	207	0.304
254	0.384	209/1	0.326
14	0.006	248	0.121
15/2	0.004	749	0.024
37	0.036	1104/1	0.065
30/2	0.125	958/2	0.158
242/2	0.032	1171	0.036
35/1	0.032	236/1	0.051
36/1	0.227	237	0.065
47/1	0.020	39	0.020
36/2	0.178	243	0.012
36/3	0.061	244/1	0.040
36/4	0.174	962/1	0.061
38/1	0.016	244/2	0.053
51/1	0.028	962/2	0.008
51/2	0.020	245	0.109
41/1	0.170	255	0.304
1108/1	0.069		

	(1)	(2)
	256/1	0.106
	257	0.061
	748/2	0.158
	952	0.121
	953	0.073
	958/1	0.048
	1016/1	0.081
	1110/4	0.134
	1017/2	0.053
	1021	0.016
	1104/2	0.020
	1105/2	0.101
	1107	0.113
	1169	0.069
	1173	0.057
	1172	0.008
	1189/1	0.101
	1190	0.162
	35/2	0.028
	1170	0.066
योग	122	10.842

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम खैरा के दायीं छोर वितरक नहर एवं लच्छनपुर उप नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 6 जून 2016

क्रमांक/01/भू-अर्जन/अ-82/वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-रामपुर, प.ह.नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.033 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	123/1	0.033
योग	1	0.033

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रामपुर एनीकट के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 6 जून 2016

क्रमांक/04/भू-अर्जन/अ-82/वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-पलारी
- (ग) नगर/ग्राम-ससहा, प.ह.नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.130 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	72/3	0.130
योग	1	0.130

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लुटुडीह-परसवानी मार्ग पर खोरसी नाला में उच्चस्तरीय पुल के लुटुडीह पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 6 जून 2016

क्रमांक/05/भू-अर्जन/अ-82/वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
   (ख) तहसील-पलारी
   (ग) नगर/ग्राम-परसवानी, प.ह.नं. 04
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	726/1	0.081
योग	1	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लुटुडीह-परसवानी मार्ग पर खोरसी नाला में उच्चस्तरीय पुल के परसवानी पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 6 जून 2016

क्रमांक/06/भू-अर्जन/अ-82/वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
   (ख) तहसील-पलारी
   (ग) नगर/ग्राम-छेरकाडीह, प.ह.नं. 04
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.284 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	500/1क	0.284
योग	1	0.284

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लुटुडीह-परसवानी मार्ग पर खोरसी नाला में उच्चस्तरीय पुल के परसवानी पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 15 जून 2016

क्रमांक 63/भू-अर्जन/वाचक/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
   (ख) तहसील-बिलाईगढ़
   (ग) नगर/ग्राम-दुरूमगढ़, प.ह.नं. 26
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.072 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
37/2	0.012

	(1)	(2)
	38/1	0.052
	37/1	0.008
योग	3	0.072

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-धोबनी-पचपेड़ी मार्ग पर बिला नाला में पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 2 जून 2016

क्रमांक/153/अ.वि.अ./भू-अर्जन/05 अ/82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-महासमुंद
- (ग) नगर/ग्राम-अछोली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.71 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1597	0.07
1776	0.13
1602	0.10
1617	0.06
1777	0.06
1604	0.03
1598	0.01
69	0.03
71	0.05
60	0.02
1355	0.01
59	0.02
64	0.09
73	0.04
57	0.07
58	0.03
1344	0.05
17	0.21
1618	0.04
1	0.30
1343	0.06
11	0.07
1316	0.04
1335	0.03
1310	0.04
1311	0.05
67	0.02
21	0.04
6	0.15
1607	0.05
14	0.04
72	0.06
39	0.06
1315	0.01
20	0.04
1312	0.01
26	0.12
56	0.07
16	0.02
1346	0.05
1599	0.01
110/3	0.16
66	0.02
1380/3	0.02
65	0.02
31	0.05
1398	0.05
5	0.08
1345	0.03
1594/2	0.05
1402	0.11
49	0.04
51	0.04
45	0.11

(1)	(2)
1342	0.04
1334	0.04
29	0.05
30	0.03
34	0.02
1317	0.01
77	0.01
23/1	0.16
1611	0.03
1612	0.03
1613	0.03
1626	0.03
1614	0.04
52	0.04
10	0.06
8	0.07
1403/2353	0.05
18	0.11
47	0.08
1347	0.04
1353	0.05
1336	0.06
1354	0.03
1342/2356	0.06
15	0.06
1361	0.01
48	0.04
50	0.04
1780	0.03
22	0.38
53	0.04
4	0.04
1775	0.04
46	0.07
54	0.09
19	0.04
1309	0.16
78	0.01
1615	0.08
1350	0.05
1318	0.01
1314	0.01
1313	0.03
33	0.13
41/1	0.14
41/2	0.14
1390	0.05

	(1)	(2)
	1383	0.02
	1380/1	0.02
	1381	0.02
	1386	0.03
	1385	0.03
	1384	0.02
	1400	0.04
	1401	0.05
	1397	0.06
	1399/1	0.12
	1399/2	0.12
	35	0.02
	1600	0.02
	1632	0.01
	1610	0.10
	1609	0.03
	1633	0.02
	28	0.02
	63	0.07
	68	0.04
	76	0.10
	70	0.03
	1371	0.03
	1359	0.03
	1360	0.01
	1362	0.01
	1380/2	0.03
	1369	0.02
	1348	0.30
	1368	0.02
	1391	0.07
	110/1	0.31
	32	0.05
	36	0.15
	37	0.13
	38	0.16
	7	0.09
	110/4	0.16
	1594/1	0.05
योग	140	8.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-समोदा बैराज के डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छ.ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 2 जून 2016

क्रमांक/155/अ.वि.अ./भू-अर्जन/6 अ/82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-महासमुंद
- (ग) नगर/ग्राम-बड़गांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-15.86 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2	0.05
648	0.36
121	0.04
69	0.04
3	0.01
68	0.01
4	0.02
5	0.03
674/3	0.19
6	0.03
97	0.60
96	0.50
10	0.05
8	0.01
9	0.01
98	0.18
12	0.07
13	0.02
671	0.02
689	0.29
14	0.02
15	0.03
91	0.07
44	0.07
43	0.04
16	0.03
17	0.02
19/1	0.07
21/3	0.09
21/1	0.04
37/1	0.03
37/3	0.14
26	0.06
18	0.02
38	0.01
39	0.02
40	0.55
41	0.42
46	0.10
45	0.15
76	0.24
77/1	0.17
77/2	0.09
82	0.13
79	0.06
80	0.05
81	0.13
90	0.16
89	0.15
92	0.28
93	0.15
101	0.07
636	0.63
100	0.13
99	0.03
637	0.33
638	0.43
120	0.04
657	0.21
649	0.15
645	0.10
646	0.09
656	0.07
655/2	0.22
647	0.57
654/1	0.16
654/2	0.24
655/1	0.19
658	0.07
662	0.19
661	0.09
660	0.05
670/1	0.11
670/2	0.11

(1)	(2)
116	0.03
64	0.03
65	0.02
115	0.02
66	0.04
119	0.03
67	0.05
130/1	0.15
133	0.24
132	0.14
267	0.04
270	0.04
271	0.07
130/3	0.11
131	0.11
264	0.35
265	0.03
83	0.07
78	0.08
266	0.06
273	0.20
277	0.04
279	0.02
287	0.06
298/1	0.03
297	0.05
2322	0.04
22	0.07
2324	0.10
2338	0.01
2327	0.04
2326	0.08
2323	0.11
2317	0.05
2319	0.13
2318	0.20
2316	0.12
298/2	0.03
288	0.15
23	0.25
21/2	0.04
37/2	0.05
19/2	0.06
20	0.12
659	0.16
670/3	0.11
673/1	0.05
674/1	0.14
673/2	0.05
674/2	0.07
690	0.17
691	0.18
692	0.27
693	0.28
694	0.10
695	0.12
योग 130	15.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जिला न्यायालय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छ.ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 2 जून 2016

क्रमांक/157/अ.वि.अ./भू-अर्जन/8 अ/82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-महासमुंद
- (ग) नगर/ग्राम-अछोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-66.99 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1252	0.14
1296	0.16
1345	0.30
1356	0.07

(1)	(2)
1716	0.29
1259	0.20
37/1	0.05
7	0.12
97	0.24
139	0.08
1238	0.05
1783	0.11
23	0.03
62	0.42
71	0.08
111	0.05
1292	0.36
1343/2	0.15
88/3014	0.14
483	0.45
61/2	0.08
1250	0.12
14	0.15
15	0.15
16/2	0.13
480	0.26
1233	2.22
1427	0.10
1491	0.31
1719	0.18
16/1	0.13
1489/1	0.38
1525/2	0.20
1265	0.08
1266/2	0.06
1267	0.05
1275/2	0.06
12	0.06
54	0.04
1351	0.14
1230/2	0.20
1359	0.16
1379	0.07
87	0.06
1418	0.04
1421	0.08
1448	0.22
1492	0.12
145	0.20
148	0.09

(1)	(2)
1440/2	0.05
88	0.14
1500	0.08
1393	0.17
10/2	0.06
42	0.31
96	0.29
1532	0.40
1297	0.32
1352	0.25
1769/1	0.22
1404	0.42
1386/1	0.24
1781	0.15
24	0.05
1419	0.05
19	0.08
1245	0.16
21	0.25
32	0.03
34	0.22
1529	0.21
1232/2	0.14
1405/2	0.33
1466/5	0.29
1239	0.06
126	0.26
60/3	0.08
1346	0.06
1411	0.72
1518	0.06
142	0.09
144	0.12
1447	0.20
65	0.19
106	0.03
107	0.05
112	0.14
113	0.21
124	0.18
127	0.28
135	0.25
136	0.07
137	0.06
138	0.14
140	0.14
141	0.22

(1)	(2)	(1)	(2)
146	0.07	1269	0.22
147	0.07	1361	0.56
151	0.07	1385	0.19
152	0.08	1396	0.19
153	0.14	1430	0.20
154	0.16	1431	0.05
155	0.05	1780	0.29
156	0.15	1433	0.26
1285	0.07	1236	0.31
1366	0.26	1450/2	0.20
1367	0.12	60/1	0.07
1370	0.05	1456/2	0.06
1371	0.21	1460	0.08
1372	0.07	69	0.08
1374	0.09	108	0.08
1377	0.06	99	0.07
1387	0.20	100	0.09
1398	0.10	105	0.06
1400	0.05	104/1	0.06
1401	0.06	104/2	0.05
1402	0.06	129	0.04
1416	0.06	1246	0.18
1417	0.04	1253	0.07
1425	0.09	1255	0.03
1432	0.10	1275/1	0.12
1441	0.08	1287	0.21
1465	0.17	1449	0.34
64/3	0.09	33/2	0.07
125/1	0.14	1242/1	0.17
125/2	0.13	1235/1	0.23
1388/1	0.12	1235/2	0.48
1388/2	0.11	36	0.19
1390/2	0.10	1524	0.55
1413/1	0.35	494	0.06
1413/2	0.35	1237/2	0.16
1386/2	0.63	1358	0.01
63/1	0.37	1261	0.34
1466/1	0.28	1782/1	0.50
1262	0.18	38/1	0.08
1493	0.05	20	0.20
1420	0.06	35	0.23
1422	0.05	33/4	0.07
1260	0.07	1350/2	0.15
1368	0.07	1382	0.10
1517/2	0.04	1395	0.07
1525/1	0.20	1499	0.09
1240	0.10	1492/3012	0.10
1284	0.06	1256/1	0.23

(1)	(2)	(1)	(2)
1476	0.16	1527	0.24
1424	0.10	481	0.15
86	0.04	484	0.22
1389	0.04	485	0.16
482	0.17	1234	0.62
1248	0.14	8	0.04
1249	0.11	9	0.04
1369	0.08	10/1	0.06
1470/1	0.09	61/1	0.12
63/3	0.22	1474	0.04
31	0.08	38/2	0.06
1473	0.03	1456/1	0.07
1528/1	0.11	1458	0.12
98	0.11	1450/1	0.25
1381/2	0.09	1348	0.07
1380	0.28	1349	0.14
1410/1	0.26	1350/3	0.23
1472	0.22	1256/2	0.06
1263/3	0.18	1289	0.23
1394	0.05	1390/1	0.04
27	0.21	1399	0.10
56	0.14	1247	0.40
25	0.16	130	0.42
489	0.36	133	0.38
491	0.01	1714	0.06
492/2	0.06	1769/2	0.60
495	0.09	29	0.23
1263/1	0.12	1376	0.08
487	0.04	1378	0.18
492/1	0.05	1397	0.06
490	0.10	1408	0.21
1343/1	0.08	1392	0.26
1264	0.12	1414	0.34
1381/1	0.08	1415	0.12
1258	0.47	1251	0.49
1439	0.21	1363	0.34
1443	0.19	30	0.07
1466/2	0.28	1460	0.31
1489/3	0.08	33/3	0.07
1489/4	0.12	28/1	0.11
131	0.21	1468	0.32
22/1	0.10	1490	0.22
26/1	0.07	1450/3	0.22
1231	1.80	1450/4	0.12
60/2	0.08	1454	0.14
77	0.07	1712	0.06
1375	0.10	1409	0.42
1463	0.19		

(1)	(2)	(1)	(2)
1384	0.14	1298	0.28
1455	0.18	1300	0.03
1464/2	0.14	1469	0.28
1526	0.24	1470/2	0.08
1442/2	0.07	1254	0.08
1360	0.96	1288	0.22
1257/2	0.11	1525/3	0.20
1257/1	0.12	143	0.04
11	0.21	1263/2	0.06
17	0.18	1353	0.03
1403	0.08	1355	0.14
1344	0.34	68/1	0.14
1350/1	0.36	37	0.15
33/1	0.14	67	0.22
1713	0.22	1357	0.02
1442/1	0.05	39/2	0.07
22/2	0.10	1457	0.04
26/2	0.06	1461/2	0.03
1475	0.04	1461/1	0.12
1243	0.37	109	0.24
1244	0.22	110	0.12
1302	0.09	1517/1	0.02
18	0.66	1447/3011	0.10
55	0.80	1268	0.04
1464/1	0.15	1715	0.22
1784	0.07	1410/2	0.26
1266/1	0.08	66/1	0.03
1257/3	0.12	66/2	0.03
1768	0.09	68/2	0.14
1717	0.16	63/4	0.14
1759	0.40	64/1	0.09
1761	0.16	64/2	0.08
1347	0.14	64/4	0.09
1426	0.04	70/1	0.03
1467	0.11	70/2	0.02
1528/2	0.09	101	0.04
132	0.21	102	0.03
1373	0.06	103	0.08
1242/2	0.17	1241	0.04
1406	0.40	1237/1	0.07
28/2	0.26	1237/4	0.09
13	0.58	486	0.01
1383	0.10	488	0.01
1459	0.05	493	0.10
1270	0.10	1237/3	0.06
1391	0.06	1412	0.16
1718	0.15	1530	0.49

(1)	(2)
1299	0.49
1354	0.07
1471	0.03
1466/3	0.23
1232/1	0.15
1405/1	0.32
1466/4	0.06
1232/3	0.14
1405/3	0.34
1466/6	0.29
72	0.08
योग 393	66.99

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम अछोला के समोदा बैराज के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छ.ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 2 जून 2016

क्रमांक/159/अ.वि.अ./भू-अर्जन/12 अ/82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-महासमुंद
- (ग) नगर/ग्राम-अछोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.38 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
159	0.01
84	0.09
85	0.44
90	0.05
91	0.04
93	0.07
92	0.04
115	0.07
160	0.04
166/1	0.25
166/2	0.24
167	0.04
175	0.13
168	0.03
174	0.08
177	0.51
179	0.56
154	0.03
155	0.07
156	0.05
157	0.05
158	0.04
152	0.03
151	0.03
122	0.15
124	0.05
116	0.05
117	0.05
118	0.06
120	0.16
121/1	0.09
170	0.03
171	0.03
169	0.03
173	0.07
176	0.20
119	0.10
123	0.09
161	0.01
162	0.04
163	0.03
164	0.04
165	0.11
योग 43	4.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम-अछोला में ड्रेन (नाला) बैरास से महामाया मंदिर तक पहुंच मार्ग एवं पार्क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छ.ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 7 जून 2016

क्रमांक/176/क/भू-अर्जन/01 अ/82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-पिथौरा
- (ग) नगर/ग्राम-गिरना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.09 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	191/1	0.43
	192/1	0.63
	194/1	0.42
	194/2	0.60
	194/3	0.68
	215/1	0.02
	215/6	0.13
	215/2	0.47
	215/5	0.03
	223/4	0.13
	215/4	0.07
	215/7	0.15
	223/3	0.16
	215/8	0.16
	216	0.86
	224/1	0.08
	224/2	0.22
	230/2	0.30
	231/2	0.06
	231/3	0.14
	232/2	0.15
	241/2	0.25
	242/2	0.02
	243	0.20
	247/5	0.07
	247/6	0.10
	251	1.30
	252	0.52
	282	0.56
	294	0.78
	308/1	0.40
योग	31	10.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोंवर जोंक बैराज के डूबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 7 जून 2016

क्रमांक/178/क/भू-अर्जन/02 अ/82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-पिथौरा
- (ग) नगर/ग्राम-डुमरपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.48 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
219/1	0.09
219/2	0.18
228/2	0.19
219/3	0.18
228/3	0.19
219/4	0.18
228/4	0.19
219/5	0.18
228/5	0.19
219/6	0.09
228/1	0.10
228/6	0.09

	(1)	(2)
	222	0.42
	223	0.62
	224	0.54
	502/1	0.21
	502/2	0.34
	503	0.98
	504	0.36
	505	0.51
	506	0.50
	507	0.15
योग	22	6.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोंवर जोंक बैराज के डूबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 7 जून 2016

क्रमांक/180/क/भू-अर्जन/03 अ/82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-पिथौरा
- (ग) नगर/ग्राम-बड़ेलोरम
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.99 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6/1	0.90
6/4	0.02
7	0.20
8/1	0.10
8/2	0.08
8/3	0.10
8/4	0.02
9	0.24
12/1	0.10
14	0.41
61/2	0.12
117/2	0.14
15/1	0.11
15/2	0.10
15/5	0.07
15/3	0.45
15/6	0.07
17	0.03
64/2	0.08
56	0.21
57	0.05
60/1	0.32
61/1	0.12
62	0.39
63	0.01
64/1	0.15
64/3	0.10
99/1	0.05
99/11	0.08
99/2	0.02
99/3	0.04
99/4	0.05
101	0.04
103	0.08
102	0.16
104	0.08
131	0.18
117/1	0.14
119	0.08
124	0.38
120/3	0.02
134/1	0.44
121	0.35
126	0.21
132/3	0.07
135/1	0.53
135/2	0.06
135/3	0.06
135/4	0.06
135/5	0.02

	(1)	(2)
	136/2	0.10
योग	51	7.99

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोंवर जोंक बैराज के डूबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 7 जून 2016

क्रमांक/182/क/भू-अर्जन/04 अ/82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-पिथौरा
- (ग) नगर/ग्राम-परसवानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.82 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2	0.11
	8	0.41
	10	0.13
	3	0.13
	7	0.39
	6	0.78
	5	0.19
	17	0.13
	11	0.13
	13	0.22
	274	0.32
	12	0.11
	21/1	0.09
	21/8	0.36
	14	0.31
	18	0.06
	15	0.31
	30	0.12
	18/653	0.06
	16	0.37
	21/6	0.16
	21/7	0.15
	29	0.05
	31	0.02
	46	0.34
	32	0.22
	33	0.13
	34	0.13
	35	0.08
	42	0.06
	47/1	0.03
	55/1	0.02
	47/2	0.04
	55/2	0.02
	47/3	0.03
	55/3	0.03
	48	0.06
	51	0.08
	50	0.12
	67	0.04
	68/1	0.23
	68/2	0.23
	68/3	0.23
	68/4	0.23
	68/5	0.22
	68/6	0.22
	276	0.46
	277	0.44
	278	0.52
	279/3	0.06
	279/4	0.06
	287	0.08
	292	0.03
	296	0.27
योग	54	9.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोंवर जोंक बैराज के डूबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 21 जून 2016

क्रमांक/191/अ.वि.अ./भू-अर्जन/8 अ/82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-बागबाहरा
- (ग) नगर/ग्राम-खाड़ादरहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.33 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
803	0.40
805	0.09
806	0.10
828	0.96
754	0.22
807/2	0.26
829/2	0.29
807/3	0.04
829/3	0.49
836	0.36
761/23	0.06
761/29	0.10
861/24	0.02
761/25	0.02
761/28	0.43
761/26	0.23
761/27	0.28
767	0.15
808	0.03
825	0.08
766	0.04
821	0.04
769	0.06
816	0.03
819	0.04
768	0.15
824	0.09
815	0.02
770	0.08
820	0.07
807/1	0.16
804/1	0.13
804/3	0.08
832	0.27
818	0.04
826	0.09
807/6	0.33
योग	6.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चारभाठा जलाशय के बांधपार डुबान एवं उलट हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छ.ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 21 जून 2016

क्रमांक/193/अ.वि.अ./भू-अर्जन/9 अ/82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-बागबाहरा
- (ग) नगर/ग्राम-साल्हेडबरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-22.31 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
399	1.00
417	3.92
412	0.57

(1)	(2)
414	0.61
411	0.50
416	0.31
425	0.08
400	0.93
401	1.41
402	0.17
403	0.08
406	0.16
404	0.21
405	0.05
408	0.08
415	0.14
407	0.20
410	1.00
424	0.22
413	0.49
418	0.06
427	0.07
433	0.11
419	0.46
420	0.12
436	0.06
421	0.15
439	0.09
352	0.01
422	0.11
441	0.07
423	0.12
434	0.13
443	0.09
426	0.80
429	0.02
431	0.10
432	0.09
435	0.10
438	0.14
440	0.08
442	0.08
444	0.39
465	0.18
445	0.43
446	0.37
467/5	0.30
467/6	0.21
447	0.32
448	0.23
347	0.04
449	0.09
451	0.15
450	0.09
453	0.13
466	0.16
452	0.59
454	0.14
467/1	0.06
467/3	0.42
467/2	0.34
467/4	0.23
357/1	0.02
357/3	0.02
357/4	0.42
357/5	0.02
357/6	0.06
357/7	0.32
357/8	0.24
357/10	0.08
357/11	0.42
357/15	0.09
357/18	0.06
357/19	0.14
356	0.20
346	0.14
351	0.02
योग	22.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चारभाठा जलाशय के बांधपार डुबान एवं उलट हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छ.ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 21 जून 2016

क्रमांक/195/अ.वि.अ./भू-अर्जन/10 अ/82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुंद

(ख) तहसील-बागबाहरा

(ग) नगर/ग्राम-सेनभाठा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-23.39 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
430	0.27
432	0.85
434	0.41
435	0.09
437	0.22
436/4	0.57
443	0.26
444	0.27
447	0.48
448/1	0.56
448/2	0.27
449/3	0.44
449/5	0.15
450	0.05
451	0.05
453/4	0.40
452	0.74
449/2	0.24
449/4	0.07
453/2	0.71
453/3	1.00
461/2	0.17
472/3	0.06
474/2	0.36
468	0.26
472/1	0.06
472/2	0.18
472/8	0.08
472/9	0.06
472/4	0.11
472/5	0.06
474/4	0.36
472/6	0.11
472/7	0.11
474/5	0.06
471	0.10
537/6	0.30
(1)	(2)
537/7	0.07
537/11	0.05
537/8	0.06
537/9	0.03
537/10	0.07
537/12	0.05
536	0.15
473	0.20
475	0.78
534	0.33
515/1	0.68
502/1	0.04
502/5	0.14
515/2	0.03
515/3	0.30
524	0.04
502/2	0.10
502/4	0.14
516	0.05
503	0.05
517	0.06
519	0.03
505	0.03
513	0.09
479	0.12
518	0.14
520	0.25
504	0.03
521	0.32
500	0.13
480	0.24
522/1	0.16
522/2	0.02
522/3	0.13
523	0.03
499	0.02
501	0.04
506	0.02
512	0.19
514	0.07
511/1	0.90
511/2	1.06
474/1	0.20
474/3	0.14
476	0.74
477	0.32
478	0.49

	(1)	(2)
	436/8	0.15
	436/1	0.06
	436/3	0.10
	436/9	0.48
	436/2	0.14
	436/10	0.58
	436/5	0.27
	436/7	0.08
	436/6	0.68
	436/11	0.23
	449/1	0.38
	449/6	0.37
योग	96	23.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चारभाठा जलाशय के बांधपार डुबान एवं उलट हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छ.ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 5 मई 2016

प्र.क्र. 06/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-तारापुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.463 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	113	0.117
	258	0.020
	275	0.045
	233/2	0.355
	237	0.016
	259/3	0.053
	273	0.162
	234	0.065
	263	0.065
	178	0.137
	223	0.041
	239	0.053
	264/3	0.053
	238	0.202
	265	0.109
	181	0.186
	257	0.004
	251	0.101
	266	0.069
	252	0.008
	267	0.129
	179	0.020
	274/1	0.291
	253	0.057
	270	0.105
योग	25	2.463

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत कुरमापाली माइनर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 मई 2016

प्र.क्र. 07/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोतरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.133 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
251/24, 255/2 व	0.133
योग	0.133

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत औराभाठा माइनर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 मई 2016

प्र.क्र. 08/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कुरमापाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.910 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
201/1छ	0.053
223/2	0.036
130/2	0.045
201/1घ	0.016
219/5ख	0.004
225	0.020
236	0.032
219/5क	0.004
358/2	0.041
357/11	0.008
130/1	0.032
228/3ख	0.024
365/3ग	0.081
237	0.053
201/1ङ	0.016
121/2ग	0.028
131/1	0.045
204/2क	0.061
220/1क	0.024
228/3क	0.057
357/14	0.024
357/9	0.004
364/3	0.032
216/1	0.012
201/1ख	0.049
365/3क	0.065
116/9	0.012
120	0.085
119/3क	0.012
121/2घ	0.057
357/8	0.045
203/2	0.032
357/12	0.049
229	0.065
357/18	0.016
357/12	0.049
365/2ग	0.032
216/4	0.004
203/1	0.004
454/1	0.073
116/10	0.008
238	0.065
121/2क	0.053
121/3	0.049
201/1च	0.125
364/4	0.024
224/1ख	0.024
233	0.012
357/7	0.016

	(1)	(2)
	357/10	0.077
	365/2घ	0.012
	202/1	0.016
	232/2	0.004
	224/2	0.016
	119/3ख	0.008
योग	55	1.910

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत कुरमापाली माइनर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 मई 2016

प्र.क्र. 09/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-धनागर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.332 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	249/10	0.332
योग	1	0.332

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 मई 2016

क्रमांक 17/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-झलमला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.368 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
4	0.121
7/2, 15/2	0.012
444	0.028
396/5	0.069
397/1	0.024
417/1	0.036
443/1	0.032
465/1	0.036
514/6	0.020
5/2	0.028
7/3, 15/3	0.020
10	0.004
396/6	0.024
413/2	0.004
425	0.057
439	0.012
513/2	0.024
396/10	0.024
5/1	0.032
7/1, 15/1	0.004
350	0.012
396/8	0.028
413/1	0.032
438	0.028
465/3	0.024
465/5	0.004

(1)	(2)
6	0.202
414/1, 414/2	0.036
18/1	0.020
465/2	0.004
359	0.012
417/3	0.036
443/2	0.032
514/3	0.041
7/14, 15/14	0.032
437/1, 459/1, 450/2, 460/1	0.073
396/9	0.045
465/4	0.024
412	0.004
424/2	0.012
464	0.028
515	0.028
योग 42	1.368

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत झलमला माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 मई 2016

क्रमांक 21/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-गढ़ उमरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.843 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
133	0.041
255	0.105
266/1	0.053
326	0.024
332	0.073
339/1	0.061
405	0.097
751/2	0.012
735/2	0.032
249, 253, 257	0.202
135/1	0.028
264	0.024
275/1	0.061
328/1	0.053
335/2	0.105
340	0.049
672	0.012
749/2	0.038
736	0.024
746/1, 747/1, 748/1, 750/1, 757/3	0.105
247/2	0.101
265/1	0.073
275/2	0.077
330	0.041
735/1	0.045
341/1	0.065
730/1	0.024
750/1	0.089
741	0.016
810/1, 811/1, 812/1	0.045
247/3	0.004
260	0.028
276/1	0.162
335/3	0.041
336	0.065
248	0.008
751/1	0.081
756	0.012
742	0.137
746/2, 747/2, 748/2, 750/2	0.061
268	0.008
265/2	0.053
276/2	0.024
331	0.145

	(1)	(2)
	338	0.041
	406/2	0.012
	752	0.012
	731/1	0.061
	745/1	0.008
	813/2	0.105
योग	50	2.843

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत बड़े डेरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 जून 2016

क्रमांक 18/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-छातामुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.680 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	613/1	0.061
	616/9	0.130
	790/4	0.049
	613/2	0.045
	615/1	0.118
	614/2	0.121
	617/1	0.108
	616/7	0.032
	790/5	0.016
योग	9	0.680

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत नन्हाईडीपा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 जून 2016

क्रमांक 19/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-डूमरमुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.160 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
101/1	0.008
104/6	0.041
120/3	0.016
218/3	0.036
235/1	0.081
101/2	0.020
101/3	0.024
116/3	0.129
217/2	0.032
218/4	0.020
236/1	0.121
102/1	0.036

(1)	(2)
102/2	0.016
117	0.061
218/1	0.004
218/7	0.016
239/1	0.121
101/4	0.085
116/1	0.008
119	0.109
218/5	0.038
238/1	0.065
239/3	0.073
योग 23	1.160

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत डूमरमुड़ा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 जून 2016

क्रमांक 22/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-गढ़ उमरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.795 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
836	0.008
905/2	0.049
906	0.036
917/1	0.004
1002	0.004
1012/1	0.081
1033	0.004
1131	0.117
1156/1	0.008
1014/2, 1015/2, 1016/2, 1017/2, 1019/2, 1032/2	0.096
837	0.028
919/1ख	0.032
907/2	0.041
917/2	0.053
1001/1	0.041
1152/1	0.065
1144/1	0.162
1151	0.020
1130/1	0.288
979/1, 983/3	0.008
838	0.036
922/1	0.004
916	0.045
918	0.045
1008/1	0.032
1029/1	0.072
1146/2	0.041
1152/2	0.061
1130/2	0.024
1014/1,1015/1, 1016/1, 1019/1, 1032/1	0.097
839	0.036
982	0.012
997/2, 1011	0.112
985/1	0.045
986/4	0.049
1030	0.032
1146/3	0.073
1156/2	0.049
1028/1	0.069
1363/1	0.182
842	0.028
1008/2	0.016
979/2, 980/1	0.069
984/2	0.049
986/5	0.008
1031	0.008

	(1)	(2)
	1147/1	0.045
	1153	0.092
	779/2ख	0.084
	1144/2	0.134
योग	50	2.795

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत नन्हाईडीपा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 जून 2016

क्रमांक 10/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-नावापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.276 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	490/1	0.004
	157/2	0.008
	140/12	0.020
	140/11	0.020
	173	0.016
	171	0.142
	489/3	0.081
	139/2	0.097
	122/1	0.169
	159/4	0.113
	122/5	0.065
	490/2	0.004
	158	0.125
	128	0.250
	152/7	0.049
	122/4	0.180
	174/2	0.089
	312	0.213
	118/1	0.028
	122/2	0.020
	159/5	0.016
	112	0.004
	113	0.020
	142	0.053
	152/1	0.045
	172/2	0.004
	489/1	0.101
	118/5	0.045
	139/1	0.012
	156/1	0.008
	152/4	0.004
	152/2	0.004
	141	0.133
	152/3	0.004
	174/1	0.061
	489/2	0.053
	117/1	0.016
योग	37	2.276

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत धनगांव सब माइनर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 जून 2016

क्रमांक 13/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-बोंदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.322 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
65/1	0.089
61	0.342
63	0.004
62/1	0.145
62/2	0.016
74/7	0.004
60/1	0.202
121/2	0.004
122	0.222
123	0.008
145/9	0.008
145/10	0.073
145/3	0.069
162/1	0.016
145/2	0.193
161/7	0.012
141/1ख	0.036
164	0.045
165	0.004
163/1	0.057
303/2	0.061
257/4	0.045
253	0.032
317/1	0.004
266/5	0.045
271/1	0.125
250	0.004
248/2	0.028
273/2	0.028
274/5	0.057
280/1	0.069
280/2	0.049
281/7	0.073
286/2	0.061
286/3	0.004
289/1	0.036
289/2	0.057
298/6	0.121
301/2	0.073
301/1	0.028
304	0.036
307/1	0.105
315/3	0.073
315/4	0.073
316/4	0.069
316/17	0.065
317/1झ	0.097
317/1य	0.081
317/1छ	0.117
285	0.049
257/1	0.008
योग 51	3.322

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत जिलाड़ी माइनर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 जून 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-मचिदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.124 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
100/3 ग	0.034

	(1)	(2)
	100/5	0.090
योग	2	0.124

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की झारमुड़ा शाखा नहर के अंतर्गत तेलीपाली वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 जून 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 30/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-तुरंगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.720 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	335/2	0.042
	295/5	0.332
	335/1	0.012
	120/1ङ	0.102
	291/3	0.232
योग	5	0.720

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की झारमुड़ा शाखा नहर के अंतर्गत तेलीपाली वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 जून 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 31/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-पुसौर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.866 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	1162/2	0.035
	1611	0.049
	1887/2क	0.170
	1162/3	0.101
	1615	0.057
	1202/9	0.108
	1819/3ख	0.071
	1614	0.010
	1205/1क	0.100
	1820/3	0.036
	1487/2	0.129
	1202/3	0.082
योग	12	0.866

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की झारमुड़ा शाखा नहर के अंतर्गत तेलीपाली वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 जून 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 33/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-ओडेकेरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.908 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	234/3	0.049
	151	0.184
	152/3	0.216
	234/4	0.062
	44/4	0.054
	123/5	0.015
	234/7	0.072
	224/1	0.126
	236/3	0.030
	45/7	0.047
	45/1ख	0.053
योग	11	0.908

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की झारमुड़ा शाखा नहर के अंतर्गत तेलीपाली वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 जून 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-कुकरीचोली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.838 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	35/3	0.016
	35/4	0.101
	47/2	0.024
	38	0.251
	40/4	0.008
	45/1	0.138
	45/2	0.045
	47/3	0.089
	47/6	0.030
	47/7	0.030
	48	0.106
योग	9	0.838

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बहेरामुड़ा एनीकट योजना के अंतर्गत शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 जून 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-पुसौर
(ग) नगर/ग्राम-तड़ोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.215 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	177/3	0.162
	175/2	0.053
योग	2	0.215

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की झारमुड़ा शाखा नहर के अंतर्गत तेलीपाली वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 जून 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-पुसौर
(ग) नगर/ग्राम-पड़िगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.647 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	114/1	0.045
	1286/3	0.239
	114/6	0.093
	1289/2	0.140
	114/5	0.097
	1284/7	0.033
योग	6	0.647

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की झारमुड़ा शाखा नहर के अंतर्गत तेलीपाली वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 3 मई 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2013-14/779.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

(ख) तहसील-मस्तूरी

(ग) नगर/ग्राम-केंवटाडीह (टांगर)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-21.87 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
106/1	0.25
590/2	0.15
106/2	0.45
107	0.41
108	0.78
100/3	0.09
98/2	0.26
119/2	0.70
119/1	0.76
121	0.36
169/3	0.29
169/4	0.31
169/6	0.13
159/4	0.36
159/2	0.21
159/5	0.17
168/1	0.15
168/2	0.20
161/1	0.44
160	0.18
161/3	0.23
28/1	0.12
28/8	0.05
28/9	0.07
28/2	0.03
162	0.77
509/7	0.30
163/1	0.68
164/3	0.33
164/2	0.50
184/2	0.40
192/3	0.06
183/1	0.52
183/2	0.35
183/3	0.23
592	0.23

(1)	(2)
594	0.23
315/4	0.23
315/6	0.14
315/3	0.33
314/8	0.34
314/22	0.01
314/2	0.36
314/18	0.05
314/16	0.53
314/29	0.17
314/25	0.44
314/12	0.06
314/28	0.15
593	0.04
314/24	0.04
314/13	0.24
314/15	0.25
314/9	0.32
509/6	0.12
509/16	0.13
509/18	0.24
509/14	0.42
517/1	0.26
517/9	0.20
164/6	0.34
164/20	0.12
164/16	0.35
509/5	0.04
186/2	0.14
595/1	0.15
186/1	0.77
187/2	0.25
188/3	0.01
185/3	0.29
185/2	0.20
185/1	0.23
588/1	0.15
517/4	0.55
517/5	0.27
518	0.45
517/6	0.09
586	0.02
589/4	0.10
589/5	0.10
589/3	0.07
591	0.23

(1)	(2)
590/1	0.09
597	0.04
योग	21.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भरारी व्यपवर्तन योजना अंतर्गत फीडर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 मई 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2013-14/778.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-भरारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-19.91 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
450	0.54
459/2	0.03
457	0.17
489/2	0.12
589/3	0.05
618/30	0.14
618/41	0.35
617/1	0.24
616/6	0.46
618/35	0.32
618/46	0.40
618/47	0.65
618/82	0.38
618/83	0.41
618/8	0.20
618/6	0.02
618/7	0.02
618/11	0.67
618/15	0.87
617/3	0.38
616/3	0.46
722/1	0.20
722/2	0.20
618/77	0.22
589/1	0.59
586/2	0.11
717/2	0.30
587	0.86
715	0.09
756/2	1.22
695	0.95
696	0.28
697/4	0.76
697/6	0.14
703/1	0.33
699/3	0.35
702	0.11
701	0.04
704/2	0.08
705/1	0.48
723/1	0.02
721	0.52
720/1	0.58
720/2	0.11
707/3	0.30
718/2	0.34
708	0.06
709/1	0.21
711	0.53
713	0.21
714	0.16
829	0.46
813/2	0.10
827	0.70
712/1	0.22
712/2	0.21
710/2	0.02

(1)	(2)
586/1	0.11
828/1	0.11
826	0.12
818	0.63
योग	19.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भरारी व्यपवर्तन योजना अंतर्गत फीडर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 जून 2016

क्रमांक 6/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-गौरेला
- (ग) नगर/ग्राम-सारबहरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.460 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
15/1	0.708
10/1	0.049
16/1	0.149
73	0.141
79/3	0.113
80/1	0.137
81	0.101
71	0.024
92/4	0.020
82/1	0.024
83	0.080
84/3	0.049
67	0.060
84/1	0.008
84/2	0.004
64	0.024
65	0.073
53	0.080
45/2	0.052
47	0.060
95/2	0.020
95/3	0.036
95/4	0.008
95/5	0.052
95/6	0.012
51	0.137
96	0.060
97	0.052
99/2	0.057
99/3	0.048
105/5	0.020
योग 31	2.460

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलासपुर कटनी मार्ग पर गौरेला में रेल्वे ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेंड्रा रोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 जून 2016

क्रमांक 8/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-कुआंजति
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.806 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	113	0.028
	116	0.162
	140	0.057
	139	0.057
	138/1	0.036
	138/2	0.036
	137/7	0.061
	137/9	0.101
	137/10	0.073
	153/3	0.117
	148	0.275
	152	0.045
	458/1	0.049
	456/3	0.065
	456/2ख	0.045
	453	0.057
	451	0.105
	444/1	0.081
	450	0.081
	440/2	0.089
	145	0.146
	112/2	0.040
योग	22	1.806

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बांसाझाल व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 जून 2016

क्रमांक 10/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-बारीडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.100 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
705/1	0.142
702/1	0.284
705/2	0.215
704/1	0.122
702/2	0.093
705/3	0.162
705/4	0.101
704/2	0.093
705/5	0.101
704/3	0.089
706/1	0.170
706/2	0.170
707/1	0.012
707/6	0.045
624/2	0.053
707/2	0.081
707/3	0.036
624/3	0.049
707/4	0.158
707/5	0.036
624/5	0.061
707/7	0.053
624/7	0.041
677/2क	0.012
675/1क	0.117

	(1)	(2)
	626/11 क	0.069
	626/5 क	0.097
	626/1 क	0.113
	677/2 ख	0.089
	626/1 ख	0.093
	626/4 ख	0.073
	626/11 ख	0.097
	677/1	0.101
	677/3	0.049
	626/12	0.174
	626/3	0.073
	626/8	0.097
	677/4	0.049
	626/14	0.077
	626/18	0.130
	675/2	0.024
	622	0.061
	621	0.138
योग	43	4.100

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बांसाझाल व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 जून 2016

क्रमांक 13/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पेण्डारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.315 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
215	0.016
216	0.077
217	0.101
240/1	0.024
240/2	0.024
241/2	0.129
238	0.016
232	0.040
157/1	0.012
334	0.089
158/ख, 230	0.008
239/1, 240/3	0.061
239/2	0.061
239/3	0.008
244	0.049
241/1	0.125
356	0.057
358	0.024
357	0.032
355	0.061
352	0.045
353/1, 353/2	0.085
330	0.004
331	0.036
332	0.263
329	0.028
346	0.020
349	0.028
350	0.040
347	0.008
348	0.032
351	0.053
301	0.028
300	0.012
489/2	0.105
487	0.081
488	0.024
480	0.109
485/3	0.162
491	0.012
486	0.049
485/4	0.032
490	0.061
489/1	0.065
481	0.081

(1)	(2)
479/1	0.121
573/1	0.089
302	0.073
308	0.065
242	0.073
243	0.077
153	0.324
154/1, 155/1क, 156/1, 158/1 क, 159/1, 197/1, 198/1,	0.732
143/1, 144/1	0.012
143/2, 144/2	0.162
147/1	0.008
333	0.073
328	0.057
324	0.016
305	0.053
326/1	0.008
325	0.057
307/1	0.190
307/2	0.190
479/2	0.040
309	0.036
310	0.024
507	0.045
508	0.024
506	0.032
509	0.028
303	0.065
304	0.032
306	0.020
579/1	0.097
583/2	0.040
582/2	0.012
582/3	0.202
1318	0.154
1319/1	0.142
1319/2	0.101
1321/1	0.113
1322/2	0.089
1324	0.065
485/2	0.089
478/2	0.008
योग 96	6.315

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 जुलाई 2016

क्रमांक 20/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-समलपुरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-23.448 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2	0.295
4	0.178
6	0.304
7	0.081
966	0.202
967/1	0.158
967/2	0.243
965/1	0.121
965/2	0.138
961/3	0.117
961/1	0.283
961/2	0.045

(1)	(2)	(1)	(2)
908	0.279	918/2, 919, 927	0.061
903	0.089	926/2, 931/1	0.121
935/3, 936/2	0.040	926/1	0.032
931/2	0.020	924/1, 924/2	0.040
1102/1	0.040	925/1	0.113
1102/2	0.097	1043/8	0.162
1104	0.125	933	0.040
1102/3	0.182	920, 923	0.097
1105	0.049	928/3	0.004
742	0.020	1043/3	0.073
1099, 808	0.045	442/2	0.263
1130/1	0.065	1043/5	0.243
1131	0.138	1043/4	0.040
1130/2	0.061	1043/7	0.073
1147/1	0.101	1048	0.454
1147/3	0.142	1047/1	0.073
1147/4	0.073	743/2	0.170
1148/2	0.190	1047/2	0.061
1148/3	0.109	517	0.158
1152/1	0.012	1049/1	0.138
525	0.223	1049/2	0.271
526	0.004	1150/3	0.016
527	0.004	1152/2	0.263
442/1	0.324	1154/2	0.024
537/1	0.073	802/4	0.109
537/2	0.073	1148/1	0.295
539/1	0.016	1150/5	0.405
755	0.020	1150/4	0.142
759/2	0.178	802/3	0.049
756	0.032	802/8	0.142
757/3	0.016	802/5	0.308
757/2	0.069	1103	0.049
757/1	0.004	1152/3	0.231
760	0.142	96	0.008
761	0.688	101	0.024
751	0.040	102/1	0.413
763/1	0.032	102/5	0.146
925/2	0.113	486/28	0.308
905	0.198	486/12	0.146
904/1	0.154	486/17, 486/25	0.162
909	0.194	486/9	0.243
911	0.008	486/27	0.016
910	0.210	522/3	0.146
934	0.016	486/5, 494/2 क	0.291
1043/1	0.121	511	0.049
928/1	0.028	512/1	0.134
921, 922	0.097	508	0.008

(1)	(2)
509	0.069
510	0.081
512/2	0.012
494/6	0.089
519	0.283
520	0.016
530	0.061
521	0.445
747/1	0.231
747/2	0.202
763/3	0.243
763/4	0.210
746	0.162
747/3	0.105
763/5	0.004
763/7	0.129
763/6	0.202
745	0.081
744/2	0.012
744/3	0.162
744/4	0.202
569/3	0.020
743/1	0.016
725/1 ख	0.704
725/2	0.267
486/6	0.016
492/2, 493/2, 494/2	0.332
494/5	0.332
494/8	0.134
544, 545	0.020
543/1	0.117
541	0.129
585/6	0.016
542	0.231
543/2	0.049
727/2	0.024
726	0.016
567/1, 729, 730	0.105
585/15	0.105
1083	0.445
1043/6	0.146
1088/1	0.291
1086	0.121
1085	0.142
1100/1	0.186
529/1	0.085
1098/1 क	0.012
516	0.049
518/1	0.061
518/2	0.016
1100/2	0.182
1132	0.101
1147/2	0.320
1101	0.057
522/1	0.008
536/2	0.032
503	0.004
569/2	0.283
572/2	0.020
538	0.182
523/1, 523/2	0.032
540	0.243
524	0.020
529/2	0.012
528/1	0.097
528/2	0.065
573/1	0.061
536/1	0.129
584/3	0.012
585/14	0.024
585/16	0.012
585/17	0.012
585/18	0.004
585/5	0.012
585/7	0.016
584/1	0.040
585/13	0.020
562/3	0.016
569/1	0.283
572/1	0.020
573/2	0.008
योग 198	23.448

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 जुलाई 2016

क्रमांक 22/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मेण्ड्रा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.652 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
247/1	0.020
250/2	0.004
248/2	0.020
249/2	0.020
250/3	0.016
245/2	0.024
251/3	0.008
251/4	0.008
252	0.016
253	0.016
254/4	0.008
254/5	0.008
256	0.008
257/2	0.008
258	0.008
260	0.008
259	0.008
524/4	0.020
70	0.012
71	0.081
72	0.277
73/1	0.069
73/2	0.022
73/3	0.016
73/4	0.014
74/1	0.081

(1)	(2)
74/2	0.040
75	0.004
87	0.008
89	0.073
90	0.105
91, 92/1	0.121
92/2	0.040
537	0.202
538	0.049
515	0.069
516	0.239
517	0.065
518	0.081
520	0.097
519/1	0.049
519/2	0.004
217/1, 217/2	0.081
522/2	0.024
523/1	0.206
523/2	0.109
524/1	0.089
525	0.182
526/1	0.020
698	0.008
261	0.008
262	0.008
263/2	0.008
242/2	0.016
255/2	0.024
264/2	0.008
269	0.012
270/2	0.012
267/2, 268/2	0.008
271/2	0.012
272/2	0.008
273/2	0.008
2	0.040
3/1	0.223
3/2	0.223
4	0.008
551	0.057
5	0.162
59	0.008
6	0.036
29/1	0.125
29/2	0.081
30/1	0.085
30/2	0.113

(1)	(2)	(1)	(2)
30/3	0.020	526/2	0.182
31	0.020	697/1	0.146
49/1	0.138	696/1	0.129
49/2	0.138	697/2	0.146
47	0.121	696/2	0.008
50	0.101	700/1	0.008
51	0.008	700/2	0.138
53	0.020	493	0.049
54/1	0.049	700/3	0.049
54/2	0.045	702/2 क	0.607
54/3	0.040	701/7	0.251
55	0.142	238/4	0.008
492	0.061	702/2 ग	0.607
93	0.032	243/2	0.016
94/1	0.081	238/1	0.081
94/2	0.045	238/3	0.020
95	0.134	244	0.028
96	0.004	239/3	0.040
193	0.024	239/4	0.016
194/1	0.045	240	0.016
194/2	0.089	545	0.040
195	0.049	546	0.073
196	0.065	547	0.125
212	0.008	548/1	0.093
215/2	0.117	548/2	0.049
213	0.008	565, 569	0.012
215/1	0.117	566	0.065
215/3	0.049	572	0.113
216/1	0.040	567	0.040
216/2	0.040	568	0.020
521	0.138	224/4	0.061
218	0.174	225/2	0.024
219	0.186	226/2	0.073
220	0.024	457/2	0.012
60/2	0.158	224/2	0.020
237	0.012	225/1	0.024
458/1	0.073	56	0.061
227	0.040	57	0.146
458/2	0.085	58	0.077
459	0.113	533	0.117
460	0.008	534	0.239
241	0.012	535	0.073
573	0.073	226/1	0.049
246	0.032	457/1	0.008
574/1	0.150	571	0.040
574/2	0.182		
532/1	0.012	योग 168	11.652
532/2	0.073		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 जुलाई 2016

क्रमांक 32/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-निरतु
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.909 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1819/3 क	0.008
	1823/1	0.053
	1862/3	0.040
	1862/2 ख	0.093
	1867	0.061
	1868, 1869	0.073
	1866	0.113
	1865	0.073
	1870, 1871	0.073
	1982/3	0.101
	1872/2, 1873/2	0.117
	1875	0.016
	1877/1, 1877/2	0.049
	1880/1	0.004
	1880/2	0.138
	1881/2	0.045
	1947/2	0.057
	1932/2	0.077
	1879/2	0.016
	1931/1	0.081
	1982/4	0.109
	1981	0.057
	1980/2	0.093
	1949/2	0.028
	1949/3	0.032
	1948/1	0.020
	1941	0.049
	1946	0.109
	1937	0.004
	1934/1	0.024
	1934/2	0.036
	1933/2	0.097
	1932/1	0.093
	1931/2	0.073
	1930/1	0.012
	1930/2	0.016
	2037/1	0.324
	2040/1	0.170
	2038/1	0.081
	1882	0.049
	1884	0.016
	1950/1	0.008
	1940	0.020
	2041/1	0.020
	2041/4	0.081
योग	45	2.909

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 जुलाई 2016

क्रमांक 42/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-तखतपुर

(ग) नगर/ग्राम-बेलटुकरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.444 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
20/2	0.182
1/11	0.012
26	0.016
23	0.121
24	0.113
25/1	0.101
25/2	0.243
14/5	0.154
14/6	0.057
15	0.020
34/7	0.012
75/1	0.202
75/3	0.113
73/3	0.061
83	0.040
68/2	0.049
86/4	0.012
86/6	0.154
84/3	0.089
84/5	0.016
67/1	0.008
68/4	0.049
201/2	0.324
201/1	0.004
201/3	0.008
205, 208, 209	0.429
210, 207	0.032
563/2	0.243
554/4	0.065
566	0.178
567/2	0.012
571/2	0.097
570/7	0.283
570/3	0.202
570/4	0.008
570/5	0.020
677/6	0.012
678/3	0.113
685/6 क	0.061
554/5	0.040
685/4	0.045
688/1	0.028
84/2	0.202
69	0.032
84/4	0.065
68/3	0.024
68/1	0.227
86/3	0.004
86/2	0.069
86/8	0.061
86/1	0.049
519/6	0.004
520	0.073
522	0.138
521	0.138
523	0.008
516/14	0.142
560/1	0.125
516/12	0.113
563/1	0.024
685/11	0.049
684	0.101
690	0.138
691/2	0.154
691/1	0.032
691/3	0.032
691/4	0.032
679	0.251
689	0.129
योग 72	6.444

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्बलगन पी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 7 जुलाई 2016

प्ररूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 94 बी 121/2015-16.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं., तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम लारा प.ह.नं. 40, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम बुनगा, प.ह.नं. 25, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)			
			खसरा नं.	रकबा	खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रायगढ़	पुसौर	बुनगा/25	69/1	0.067	70/1	0.029
			71/3	0.025	70/3	0.051
			94/2	0.109	94/3	0.064
			384/2	0.008	362/1	0.093
			97	0.025	60/4	0.117
			92/1ग	0.138	92/1क	0.028
			60/1ग	0.016	60/1क	0.045
			318/4	0.101	67/12	0.094
			67/11	0.101	67/14	0.142
			365/1	0.089	365/2	0.058
			366/2	0.024	55/3	0.220
			57/5	0.081	308/1	0.008
			68/19	0.032	68/21	0.050
			68/18	0.081	68/11	0.069
			68/20	0.093	61	0.081
			55/2	0.138	367/2क	0.130

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			367/1क	0.108	58/5	0.023
			58/3	0.012	58/4	0.023
			384/5	0.137	382/4, 383/4	0.186
		योग	**कुल ख. नं. 39 कुल रकबा 2.896 हे.**			

टीप :— भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 जुलाई 2016

प्ररूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 95 बी 121/2015-16.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं., तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम लारा प.ह.नं. 40, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम बासनपाली, प.ह.नं. 32, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)			
			खसरा नं.	रकबा	खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रायगढ़	पुसौर	बासनपाली/32	5/2	0.016	10/1	0.126
		योग	**कुल ख. नं. 2 कुल रकबा 0.142 हे.**			

टीप :— भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 जुलाई 2016

प्ररूप–ख

[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 96 बी 121/2015-16.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं., तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम लारा प.ह.नं. 40, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम केशापाली, प.ह.नं. 34, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)			
			खसरा नं.	रकबा	खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रायगढ़	पुसौर	केशापाली/34	4/7	0.008	4/8	0.045
			4/10, 22/6	0.083	11/4	0.193
			12	0.016	22/1	0.004
			4/11, 22/5	0.072	22/3	0.016
			22/4	0.012	22/9	0.012
			4/9	0.060		

योग कुल ख. नं. 10 कुल रकबा 0.509 हे.

टीप :— भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

पी. के. सर्वे,
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 24 मई 2016

क्रमांक 888/नग्रानि./राजनांदगांव/स्ट्र.प्लान अं. चौकी/2016.— एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि अम्बागढ़ चौकी निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है उसकी एक-एक प्रति कार्यालय कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मोहला जिला-राजनांदगांव, कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव एवं कार्यालय नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी में दिनांक 28-05-2016 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

अम्बागढ़ चौकी निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

अम्बागढ़ चौकी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम केकतीटोला, मालडोंगरी, मेरेगांव एवं ग्राम केसला की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम केसला, सिर्राभाटा, बोईरडीह एवं ग्राम अम्बागढ़ चौकी की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम अम्बागढ़ चौकी, कान्हे एवं ग्राम हाथीकन्हार की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम हाथीकन्हार एवं ग्राम केकतीटोला की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयाार किए गए भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उस पर उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव छ.ग. द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल :—

1. कार्यालय, नगर पंचायत, अम्बागढ़ चौकी, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
2. कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, तहसील कार्यालय परिसर, बलदेव बाग रोड, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

No. 888/T&CP/Rajnandgaon/S.P-A. Chowki/2016.—Notice is hereby given that the existing land use map for Ambagarh Chowki Planning Area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection from date 28-05-2016 during office hours in the offices of the Collector district Rajnandgaon C.G., Office of the Sub-divisional Officer (Revenue) Mohla, Office of the Deputy Director Town and Country Planning Rajnandgaon, and Office of the Nagar Panchayat Ambagarh Chowki C.G.

The limit of Ambagarh Chowki Planning Area is defined in the Schedule given below.

SCHEDULE

Limits of Ambagarh Chowki Planning Area

NORTH	:	Village Kektitola, Maldongri, Meregaon upto the Northern limit of Kesla.
EAST	:	Village Kesla, Sirrabhatha, Boirdih upto the Eastern limit of Village Ambagarh Chowki.
SOUTH	:	Village Ambagarh Chowki, Kanhe upto the Southern limit of Hathikanhar.
WEST	:	Village Hathikanhar upto the Western limit of Kektitola.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map and register so prepared, it should be sent in writing to the above mentioned places, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette."

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Deputy Director, Town and Country Planning, Rajnandgaon, Chhattisgarh.

Inspection Site :—
1. Office of the Nagar Panchayat, Ambagarh Chowki, District-Rajnandgaon (C.G.)
2. Office of the Deputy Director, Town and Country Planning, Tehsil Office Campus, Baldevbag Road, District-Rajnandgaon (C.G.)

जाहीद अली,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

कांकेर, दिनांक 31 मई 2016

क्रमांक/217/नग्रानि/2016.— एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि पखांजूर निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत कार्यालय (प्रदर्शनी स्थल) पखांजूर, कार्यालय कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कांकेर में दिनांक 03-06-2016 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्य दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. पखांजूर निवेश क्षेत्र की सीमायें निम्नलिखित अनुसूची में दर्शित है :—

अनुसूची

पखांजूर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम हरिहरपुर, सत्यनंदपुर एवं सुभाषनगर ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम सुभाषनगर, विद्यानगर, सोहगांव एवं उदयपुर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम उदयपुर एवं इन्द्रप्रस्थ ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम इन्द्रप्रस्थ, पखांजूर कॉलोनी एवं हरिहरपुर ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयाार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के समयावधि के भीतर लिखित रूप में सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कांकेर को प्रस्तुत किया जाना चाहिये

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 217/T&CP/2016.—Notice is hereby given that the existing land use map for Pakhanjur Planning Area has been prepared under Section 15 sub-section (1) of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from 03-06-2016 during office hours in the office of Chief Municipal Officer, Nagar Panchayat (Exhibition Venue) Pakhanjur, Office of the Collector, North Bastar, Kanker

and office of Assistant Director, Town & Country Planning, Kanker. The limit of the Pakhanjur Planning Area is defind in the Schedule given below :—

SCHEDULE

Limits of Pakhanjur Planning Area

NORTH	:	Village Hariharpur, Satyanandpur and Subhashnagar up to Northern limit of Village.
EAST	:	Village Subhashnagar, Vidyanagar, Sohgaon and Udaypur up to the Eastern limit of Village.
SOUTH	:	Village Udaypur and Indraprasth up to Southern limit of Village.
WEST	:	Village Indraprasth, Pakhanjur Colony and Hariharpur up to the Western limit of Village.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Assistant Director, Town & Country Planning, Kanker within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by Director.

पी. एल. दिल्लीवार,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

कबीरधाम, दिनांक 2 जून 2016

क्रमांक 478/नग्रानि/कबीरधाम/स्ट्र. प्लान पण्डरिया/2015.— छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में बोड़ला निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 08 ग्रामों के लिए वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि आयुक्त सह. संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट बोड़ला निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 08 ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक रूप से दिनांक 09-06-2016 को अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

बोड़ला निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम भंडार एवं लालपुरखुर्द ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम लालपुरखुर्द, बोड़ला एवं मुडियापारा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम मुडियापारा, मंडलाटोला, सुकवापारा, जैताटोला एवं चेंहटा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम चेंहटा, बोड़ला एवं भंडार ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ रापजत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल :- कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

No. 478/ELU/TCP/2015.—The existing land use map for the Bodala Planning Area of 8 Villages have been included for which the existing land use maps and register was published under Sub-section (1) of Section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973).

Therefore a notice is hereby given for the general information of the public that the existing land use maps and register of Bodala Planning Area of 8 Villages have been included for which the existing land use maps and register so prepared and published are duly adopted by the Commissioner Cum. Director, Town & Country Planning under the provision of sub-section 3 of section 15 of the said adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette, under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and register have been duly prepared and adopted on dt. 09-06-2016.

SCHEDULE

Limit of Bodala Planning Area

NORTH	:	Village Bhandar & upto Northern limit of, Village-Lalpurkhurd.
EAST	:	Village Lalpurkhurd, Village-Bodala & upto Eastern limit of Village-Mudiyapara.
SOUTH	:	Village Mudiyapara, Village-Mandalatola, Village-Sukwapara, Village-Jaitatola & upto Southern limit of Village-Chehanta.
WEST	:	Village-Chehanta, Village-Bodala & upto Western limit of Village-Bhandar.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map and register so prepared, it should be sent in writing to Commisioner Cum Director Town and Country Planning Chhattisgarh Naya Raipur, within a period of fifteen days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Commissionor Cum Director Nagar Tatha Gram Nivesh Chhattisgarh.

Inspection Site :— Office of the Asst. Director, Town & Country Planning, Kawardha, Distt.-Kabirdham (C.G.)

प्रीति देवांगन,
सहायक संचालक.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

बिलासपुर, दिनांक 4 जून 2016

क्रमांक/3323/व.भू.उ.प्र./न.ग्रा.नि./2016.— एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि सरगांव निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है उसकी प्रति नगर पंचायत सरगांव के कार्यालय भवन, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पथरिया, जिला-मुंगेली एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नया कंपोजिट बिल्डिंग, कलेक्टोरेट परिसर बिलासपुर छ.ग. में दिनांक 03-06-2016 से कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिये उपलब्ध है. निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दी गई है :—

अनुसूची

उत्तर में	:	ग्राम धमनी, खम्हारडीह, मोहदा, भोजपुरी एवं डोकलाडीह ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम डोकलाडीह, सल्फा एवं करही ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम करही, मोहभट्ठा एवं सांवा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम सांवा, लोहदा, खपरी एवं धमनी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नया कंपोजिट बिल्डिंग, कलेक्टोरेट परिसर बिलासपुर छ.ग. को सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, तो संचालक द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल :—

1. कार्यालय, नगर पंचायत सरगांव, जिला-मुंगेली (छ.ग.)
2. कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नया कम्पोजिट बिल्डिंग, बिलासपुर जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

No./3323/व.भू.उ.प्र./T&CP/2016.—Notice is hereby given that the existing land use maps for the Sargaon Planning Area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection w.e.f. 03-06-2016 in the Office of the Nagar Panchayat Sargaon, Office of the S.D.O. (Revenue) Pathariya, District-Mungeli and Office of the Joint Director Town and Country Planning New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur during Office hours of working days. The limits of Bilaspur Planning Area are detailed in Schedule given below :—

SCHEDULE

NORTH	:	Village Dhamni, Khamhardih, Mohda, Bhojpuri and up to the North limit of Dokladih.
EAST	:	Village Dokladih, Salpha and up to the East limit of Karhi.
SOUTH	:	Village Karhi, Mohbhattha and up to the South limit of Sanwa.
WEST	:	Village Sanwa, Lohda, Khapri and up to the West limit of Dhamni.

If there by any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur. within a period of thirty days from the date of publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the expiry of the specified period above will be considered by the Director.

Inspection Site :—

1. Office of the Nagar Panchayat, Sargaon, District Mungeli (C.G.)
2. Office of the Joint Director, Town and Country Planning New Composite Building Collectorate Premises Bilaspur.

बिलासपुर, दिनांक 10 जून 2016

क्रमांक/3573/न.ग्रा.नि./2016.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में मल्हार निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन दिनांक 27-02-2016 द्वारा किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट मल्हार निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

उत्तर में : ग्राम सरसेनी, बुढ़ीखार, मल्हार एवं जैतपुरी ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम जैतपुरी, बेटरी, मल्हार एवं जुनवानी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम जुनवानी, धुरवाकरी, हरदी एवं भगवानपाली ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम भगवानपाली, धनगांव, बिनेका, बिदियाडीह, मटिया एवं सरसेनी ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, नया कम्पोजिट बिल्डिंग, बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

No./3573/T&CP/2016.—The existing land use map and register for the Malhar Planning Area existing land use map and register was published under Sub section (1) of Section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) vide date 27-02-2016 of Bilaspur.

Therefore, a notice is hereby given for general information of the public that the existing land use map and register of Malhar Planning Area existing land use map and register so prepared and published are duly adopted by the Director, Town & Country Planning, under the provision of sub-section (3) of section 15 of the said adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazette, under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map and register have been duly prepared and adopted on dt.

INDEX

NORTH : Village Sarseni, Budhikhar, Malhar and up to the North limit of Jaitpuri.
EAST : Village Jaitpuri, Betri, Malhar and up to the East limit of Junwani.
SOUTH : Village Junwani, Dhurwadih, Hardi and up to the South limit of Bhagwanpali.
WEST : Village Bhagwanpali, Dhangaon, Bineka, Bindiyadih, Matiya and up to the West limit of Sarseni.

The said adopted map and register shall be available for inspections of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Inspection Site :— Office of the Joint Director Town & Country Planning New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur.

बिलासपुर, दिनांक 28 जून 2016

क्रमांक/4027/व.भू.उ.प्र./न.ग्रा.नि./2016.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि तखतपुर निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं उसकी प्रति नगर पालिका परिषद् तखतपुर, के कार्यालय भवन, तहसीलदार, तखतपुर, जिला-बिलासपुर एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नया कंपोजिट बिल्डिंग, कलेक्टोरेट परिसर बिलासपुर छ.ग. में दिनांक 29-06-2016 से कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दी गई है :—

अनुसूची

उत्तर में : ग्राम निगारबंद, पड़रिया, टिहालडीह, नगोई एवं कुंवा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम कुंवा, जरौंधा, अरईबंद एवं गुनसरी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम गुनसरी, मोढ़े, बेलसरी एवं तखतपुर ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम तखतपुर एवं निगारबंद ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नया कंपोजिट बिल्डिंग, कलेक्टोरेंट परिसर बिलासपुर छ.ग. को सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, तो संचालक द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल :—

1. कार्यालय, नगर पालिका परिषद तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
2. कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नया कम्पोजिट बिल्डिंग, बिलासपुर जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

No./4027/व.भू.उ.प्र./T&CP/2016.—Notice is hereby given that the existing land use maps for the Takhatpur Planning Area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection w.e.f. 29-06-2016 in the Office of the Nagar Palika Parishad Takhatpur, Office of the Tehseldar Takhatpur, District-Bilaspur and Office of the Joint Director Town and Country Planning New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur during office hours of working days. The limits of Takhatpur Planning Area are detailed in Schedule given below :—

INDEX

NORTH	:	Village Nigarband, Padariya, Tihaldih, Nagoi and up to the North limit of Kunwa.
EAST	:	Village Kunwa, Jaraondha, Araiband and up to the East limit of Gunsari.
SOUTH	:	Village Gunsari, Modhe, Belsari and up to the South limit of Takhatpur.
WEST	:	Village Takhatpur and up to the West limit of Nigarband.

If there by any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur. within a period of thirty days from the date of publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the expiry of the specified period above will be considered by the Director.

Inspection Site :—

1. Office of the Nagar Palika Parishad Takhatpur, District Bilaspur (C.G.)
2. Office of the Joint Director, Town & Country Planning New Composite Building Collectorate Premises Bilaspur.

संदीप बांगड़े,
संयुक्त संचालक.